ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2018 / अंक 03

विषय सूची

जून 2018
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंक का दर्जा
- इब्सा (IBSA) की वर्तमान में प्रासंगिकता
- ग्रीन जीडीपी: अर्थव्यवस्था का पर्यावरणीय आकलन
- भारत में मातृ मृत्युः एक अवलोकन
- सत्याग्रह के 125 वर्ष और वर्तमान प्रासंगिकता
- विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकः एक मूल्यांकन
- वैश्विक शांति सूचकांक और भारत

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंक का दर्जा

चर्चा का कारण

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2018 को शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी द्विवार्षिक बैठक के बाद जारी बयान में बताया गया, लघु वित्तीय बैंकों (एसएफबी) के लिए तय मानकों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर एसएफबी में बदलने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गाँधी की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एक से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रहे शहरी सहकारी बैंकों को ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा अन्य शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंकों में स्वेच्छा के आधार पर बदलने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। शहरी सहकारी बैंकों पर अध्यक्षता वाली समिति ने इस तरह की सिफारिश अगस्त 2015 में की थी।

शहरी सहकारी बैंकों को यूनिवर्सल वाणिज्यिक बैंकों में तब्दील होने के लिए जरूरी खाका बनाना होगा क्योंकि देश में वित्तीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े शहरी सहकारी बैंकों की महत्वाकांक्षा पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक की योजना ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर भुगतान मंच पर लाने की है ताकि इस क्षेत्र में नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक (एस.एफ.बी.) के व्यवसाय को जारी रखने के लिए लाइसेंस जारी किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014-2015 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक लघु बैंकों और भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए एक दिशानिर्देश तैयार करेगा। यह बैंक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र, कम आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी श्रमिकों को मूलभूत बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 27 नवंबर 2014 को लघु और भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए। आर.बी.आई. को 30 फरवरी 2015 तक लघु वित्त बैंकों के लिए 72 आवेदन और भुगतान बैंकों के लिए 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से भारत की कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल थीं। वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति ने सबसे पहले इन दो श्रेणियों पर विचार व्यक्त किया था।

लघु बैंकों के लिए समितिः एक बाहरी सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) द्वारा आवेदनों का विश्लेषण और उनका मूल्यांकन किया गया। लघु बैंकों के लिए ई.ए.सी. की अध्यक्षता आर.बी.आई. की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट ने की।

भुगतान बैंकों के लिए समितिः इन आवेदनों का विश्लेषण और उनका मूल्यांकन एक बाहरी सलाहकार समिति (ई.ए.सी.) ने किया। भुगतान बैंकों के लिए ई.ए.सी. समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक डॉ. नचिकेत मोर की अध्यक्षता में हुई।

लघु वित्तीय बैंक क्या है?

लघु वित्त बैंक आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से और उससे संबंधित आवश्यकताओं पर केंद्रित बैंक होते हैं। ये बैंक कमजोर वर्ग के लोगों के मध्य ऋण देने के गतिविधि को संपादित करते हैं। इस बैंक के गठन का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं अन्य संगठित क्षेत्रों की संस्थाओं आदि को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

ये बैंक मुख्य रूप से कृषि विकास तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों आदि से जमा राशि स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने में सक्षम हैं। ये गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिये सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते। ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते। लघु वित्त बैंक पेंशन, म्यूचुअल फंड व बीमा आदि की बिक्री कर सकने में सक्षम हैं। भुगतान बैंकों में जहाँ 75% तक का डिपोजिट सरकारी बॉण्डों में होता है, वहीं लघु वित्त बैंकों में इतनी ही मात्रा की जमा राशि प्राथमिक क्षेत्रों के लिये होती है।

शहरी सहकारी बैंक क्या हैं?

प्राथमिक सहकारी बैंक, जो शहरी सहकारी बैंकों के नाम से भी जाने जाते हैं, शहरी और नगरी क्षेत्रों के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। शहरी सहकारी बैंक या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं या बहु राज्य सहकारी सासाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, जब बैंक एक से अधिक राज्य में परिचालनरत हों।

विविधता स्वरूप होने के कारण इस क्षेत्र के बैंकों का विषमतापूर्ण भौगलिक फैलाव है। यद्यपि इनमें कई बैंक किसी शाखा नेटवर्क के बिना इकाई बैंक के रूप में कार्य करते हैं, फिर भी, कुछ बैंकों के आकार बड़े हैं तथा वे एक से अधिक राज्य में स्थित हैं। शहरी सरकारी बैंक शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को दर्शाता है।

प्रारंभ में इन बैंकों को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए और अनिवार्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं एवं व्यवसाय के लिए पैसे उधार देने की अनुमति प्रदान की गई। आज इनका कार्य अपने क्षेत्र में काफी बढ़ गया है। सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था में काम करते हैं - आरबीआई और राज्य सरकार, दोनों की निगरानी होती है।

सहकारी बैंकों के विनियमन पर आरबीआई के पास शक्ति का अभाव है और वाणिज्यिक बैंकों के हिसाब से आरबीआई इसकी निगरानी नहीं कर पाता है। ये चीजें शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिकरण में बाधा है।

लघु बैंकों के लिए योग्यता मापदंड

1. बैंकिंग और वित्त कंपनियों और सोसाइटी में 10 वर्षों के अनुभव वाले स्थानीय निवासी को छोटे बैंक स्थापित करने के लिए संस्थापक के रूप में योग्य माना जाएगा।
2. मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.), माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एम.एफ.आई.), और लोकल एरिया बैंक (एल.ए.बी.) जो किसी स्थानीय निवासी के स्वामित्व में हैं और उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, वह लघु वित्त बैंकों में रूपांतरण करने का विकल्प चुन सकते हैं।
3. लघु वित्त बैंकों को बढ़ावा देने के लिए संस्थापक या संस्थापक समूह को 'उपयुक्त और उचित' अच्छे रिकॉर्ड के साथ कम से कम पांच वर्ष के व्यावसायिक अनुभव सहित योग्य होना चाहिए।

लघु वित्त बैंक को स्थापित करने के लिए प्रमुख दिशा-निर्देश और अन्य शर्ते

1. लघु बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
2. नए बैंकों को अपने नाम के साथ 'लघु वित्त बैंक' शब्दों का उपयोग करना होगा।
3. **पूंजी की आवश्यकता:** लघु बैंकों के लिए न्यूनतम पेड-अप कैपिटल आवश्यकता 100 करोड़ रूपये होगी।
4. **मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं:** लघु बैंक जमा राशि को स्वीकार कर सकते हैं और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। लघु बैंक फिक्सड डिपॉजिट (एफ.डी.), टर्म डिपॉजिट, रिक्युरिंग डिपॉजिट (आर.डी.) और किसी भी अनिवासी भारतीय जमा राशि को स्वीकार कर सकते हैं।
5. **संस्थापक का योगदान:** पहले पांच वर्षों के लिए संस्थापक का योगदान कम से कम 40 प्रतिशत होगा। पांचवें वर्ष के अंत तक अतिरिक्त शेयरहोल्डिंग को 40 प्रतिशत घटाकर 10 वें वर्ष के अंत में 30 प्रतिशत तक कर दिया जाना चाहिए और व्यापार शुरू होने की तारीख से 12 वर्षों में 26 प्रतिशत करना चाहिए।
6. **विदेशी शेयरहोल्डिंग:** लघु वित्त बैंक में विदेशी शेयरहोल्डिंग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति के अनुसार होगी।
7. वह गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों को चलाने के लिए सहायक कंपनियों को स्थापित नहीं कर सकते।
8. एकल / समूह उधारकर्ता / जारी करने वालों के लिए अधिकतम ऋण का आकार और निवेश सीमा कुल पूंजी निधियों का 15 प्रतिशत तक सीमित होगा।
9. मुख्य रूप से लघु उद्यमों के लिए 25 लाख रुपए के ऋण और अग्रिम ऋण निवेश सूची का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
10. प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए, 25 प्रतिशत शाखाएँ बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए।
11. प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए, शाखा के विस्तार के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
12. लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ए.एन.बी.सी.) का 75 प्रतिशत क्षेत्र वर्गीकरण के लिए योग्य क्षेत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

लघु वित्त बैंक की सीमाएँ

- ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले पाँच वर्षों के अनुमोदन के पूर्व अपनी शाखाएँ नहीं खोल सकते।
- ये किसी भी अन्य बैंक के साथ व्यवसायगत संपर्क नहीं रख सकते।
- ये गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते।

वित्तीय समावेशन में लघु बैंक का योगदान

- माना जा रहा है कि छोटे बैंक से सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों, कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों एवं अन्य छोटे कारोबारियों जैसे, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले जैसे निचले तबके के कारोबारियों को होगा। छोटे बैंक का उद्देश्य ही छोटे किसानों, कुटीर उद्योग चलाने वाले कारोबारियों, अति लघु व लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक स्तर की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत सीमित स्तर तक जमा स्वीकार किये जाएंगे और 25 लाख रुपये तक ऋण भी दिये जा सकेंगे। साथ ही ये बैंक ग्राहकों को दूसरी बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेंगे। स्पष्ट है, छोटे बैंकों के अस्तित्व में आने से छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
- माना यह भी जा रहा है कि इन बैंकों के आने से कर्ज दर में उल्लेखनीय कमी आयेगी। छोटे बैंकों द्वारा गृह, शिक्षा, कृषि से जुड़े ऋण एवं एसएमई से जुड़े कर्ज देने से लोगों की बड़े बैंकों पर निर्भरता कम हो सकेगी।
- ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीयकृत बैंक की पहुंच पहले से काफी बेहतर हुई है और वे वित्तीय समावेशन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8 जुलाई, 2015 तक 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, जिसमें 10.1 खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गये हैं।

वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

- दुर्भाग्य से आजादी के 70 सालों के बाद भी देश की आबादी का बड़ा तबका अपनी वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए साहूकारों पर निर्भर है, जो आमतौर पर गरीबों का शोषण करते हैं। कयास लगाये जा रहे हैं कि छोटे बैंकों की मदद से देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा।
- छोटे बैंक पूंजी की लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इसलिए, कारोबार के विस्तार के लिए उनको सुदूर इलाकों में जाना होगा, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तबके को फायदा होगा। इससे बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।

आगे की राह

- छोटे बैंकों के स्वरूप से साफ है कि वे मौजूदा बैंकों के प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सच कहा जाये तो इनके आने से वित्तीय समावेशन की संकल्पना साकार करने में मदद

मिलेगी, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र मोटे तौर पर बैंकिंग क्षमता से महरूम इलाकों में होगा।

- इस तरह देखा जाये तो वित्तीय समावेशन की संकल्पना साकार करने की दिशा में ये दूसरे बैंकों के पूरक के तौर पर कार्य करते दिखेंगे। फिर भी छोटे बैंक छोटे कारोबारियों एवं छोटे किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में छोटे राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी व विदेशी बैंकों से बेहतर साबित होंगे।
- लाइसेंस मिलने के बाद छोटे बैंक ग्राहकों से जमा ले सकेंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा, ये बैंक गृह, शिक्षा, वाहन आदि के लिए भी कर्ज दे सकेंगे। जब छोटे बैंक कम लागत पर पूंजी इकट्ठा करने में सफल होंगे तो उसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकेगा।
- कहा जा रहा है कि लाइसेंस मिलने के बाद अधिक से अधिक ग्राहकों को बैंक से जोड़ने के लिए छोटे बैंक बचत, मियादी और आवर्ती खातों पर अधिक ब्याज देकर किसानों, मजदूरों व छोटे कारोबारियों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। ये बैंक बीमा उत्पादों को बेचकर बिजनेस बढ़ाने एवं ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने का भी प्रयास कर सकते हैं।
- कुल मिलाकर बदलते आर्थिक परिवेश में छोटे बैंकों की अपनी तरह की सार्थकता है, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी बैंकिंग सुविधाओं से महरूम है।
- इस नजरिये से देखा जाये तो वित्तीय समावेशन को अमली जामा पहनाने और लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में छोटे बैंक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं इसलिए, उम्मीद की जा सकती है कि इनके परिचालन के बाद रोजगार सृजन, समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन आदि की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

निवेश मॉडल।

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

2. इब्सा (IBSA) की वर्तमान में प्रासंगिकता

चर्चा का कारण

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक बैठक की। बैठक के दौरान दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा की गई। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामले एवं सहयोग मंत्री लिंडीवे सिसुलू और ब्राजील के विदेश मामलों के मंत्री 'मार्कोस बजेरा एबट गैल्वा' ने भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तीनों मंत्रियों ने आईबीएसए समूह के तहत सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया है। मंत्रियों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आईबीएसए घोषणा पत्र को स्वीकृति दी और उसे संयुक्त रूप से जारी किया।

इस घोषणा पत्र में विश्व के विकसित देशों से से उनके विकास सहयोग (ओडीए) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, वर्तमान संसाधनों को बढ़ाने तथा अतिरिक्त संसाधनों को मुहैया कराने की प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल किया जा सके।

पृष्ठभूमि

दुनिया की करीब 40 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व और वैश्विक जीडीपी में करीब 30 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला इब्सा एक मजबूत गुट और वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। इब्सा एक अनोखा मंच है जो तीन अलग-अलग महाद्वीपों के तीन बड़े लोकतंत्रों एवं प्रमुख अर्थव्यावस्थाओं अर्थात भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर लाता है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये तीनों ही देश विकासशील, बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषायी एवं बहुधार्मिक हैं।

जी-8 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में 2 जून, 2003 को एवियन (फ्रांस) में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच बैठक में इब्सा की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया। जब इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून, 2003 को ब्रासीलिया में बैठक हुई तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम 'इब्सा वार्ता मंच' रखा गया और ब्रासीलिया घोषणा जारी की गई।

इब्सा में सहयोग तीन मोर्चों पर है-

- **पहला:** वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए मंच के रूप में, राजनीतिक एवं आर्थिक अभिशासन की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, डब्ल्यूटीओ/दोहा विकास एजेंडा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि;
- **दूसरा:** तीनों देशों के साझे लाभ के लिए 14 कार्य समूहों तथा 6 जन दर जन मंचों के माध्यम से ठोस क्षेत्रों/परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग; और
- **तीसरा:** इब्सा निधि के माध्यम से विकासशील देशों में परियोजनाएँ शुरू कर अन्य विकासशील देशों की सहायता करना।

इब्सा की सफलता एक महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती है। यह विशेषज्ञों के आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण के परंपरागत क्षेत्रों से आगे दक्षिण-दक्षिण सहयोग की वांछनीयता एवं संभाव्यता को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। वैश्विक मुद्दों पर प्रकटन के योगदान में इब्सा की सफलता दक्षिण के देशों के साथ भागीदारी के महत्व को भी दर्शाती है।

उद्देश्य

- इब्सा का उद्देश्य एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना है।
- वैश्विक विषयों पर मिलकर अपनी आवाज उठाना है।
- विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना है।
- इब्सा संवाद फोरम के सिद्धांत, मानदंड एवं आदर्श सहभागी लोकतंत्र, मानवाधिकारों के प्रति आदर और विधि का शासन है।
- इब्सा की ताकत इस बात में है कि तीनों ही सदस्य राष्ट्र एक साझा दृष्टि रखते हैं कि लोकतंत्र और विकास आपसी रूप से लागू होती हैं और यह सतत् शांति एवं स्थिरता की कुंजी है।

इब्सा सम्मेलन

	तिथि	हॉस्ट कन्ट्री	लोकेशन हेल्ड
2006	सितंबर, 2006	ब्राजील	ब्राजील
2007	अक्टूबर, 2007	दक्षिण अफ्रीका	प्रीटोरिया
2008	अक्टूबर, 2008	भारत	दिल्ली
2010	15 अप्रैल, 2010	ब्राजील	ब्राजील
2011	18 अक्टूबर 2011	दक्षिण अफ्रीका	प्रीटोरिया
2013	16 मई 2013	भारत	दिल्ली
2017	17 अक्टूबर 2017	दक्षिण अफ्रीका	डर्बन

क्या है दक्षिण-दक्षिण सहयोग?

विकासशील देशों को दक्षिण-दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग का आरम्भ 1968 में आयोजित अंकटाड सम्मेलन (नई दिल्ली) से माना जाता है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आह्वान में इसका विशेष जिक्र हुआ। 1976 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन में विकासशील देशों के आपसी व्यापार तथा सामूहिक अन्तर्निर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1986 में गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण संवाद की बजाय दक्षिण-दक्षिण संवाद पर अधिक ध्यान दिया गया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयोंग में हुई विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक (1987) में भी दक्षिण-आयोग का गठन करके विकासशील देशों के आपसी सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। 1991 में G-15 (विकासशील देशों का समूह) के काराकास सम्मेलन में भी निर्धन राष्ट्रों के आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद हिमतक्षेस (हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन) की स्थापना 1997 में हुई। इसने भी तृतीय विश्व के देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

इब्सा निधि

इब्सा का एक नवाचारी कार्य गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिए इब्सा सुविधा निधि की स्थापना है जिसके माध्यम से साथी विकासशील देशों में इब्सा निधि से विकास परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है। इब्सा के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा 1 मिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक राशि का अंशदान किया जाता है। इब्सा निधि ने 17 सितंबर, 2010 को न्यूयार्क में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एमडीजी पुरस्कार 2010 प्राप्त किया। विश्व के दूसरे भागों में विकास से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए नवाचारी दृष्टिकोणों का प्रयोग करने में तीनों देशों के कार्य की स्वीकृति है।

इब्सा की परियोजनाओं के अंतर्गत हैती, गुनिया बिसाऊ, केप वर्डे, बुरूंडी, फिलिस्तीन, कंबोडिया, लाओ पीडीआर तथा सियरा लियोन आते हैं। इब्सो निधि के साथ रमल्लाह में एक खेल परिसर की स्थापना किया गया है।

इब्सा घोषणा-2018

भारत , ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) के विदेश मंत्रियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया तथा विकास और विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग की व्यापक समझ की दिशा में योगदान देने का संकल्प लिया।

मंत्रियों ने विकासशील देशों के समान उद्यम के रूप में विकास सहयोग की व्यापक समझ के प्रति योगदान देने के लिए आपसी सहयोग पर इब्सा घोषणा स्वीकार की।

- इब्सा घोषणा में कहा गया कि पिछले तीन साल से अधिक समय में इब्सा एक ऐसे समूह के रूप में उभरा है जो विकासशील देशों के कल्याण और विकासात्मक चिंताओं का समर्थन कर रहा है।
- ''इब्सा आह्वान करता है कि विकसित देश अपनी आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताओं का पूर्ण रूप से सम्मान करें, मौजूदा संसाधनों को बढ़ाएं और सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधनों की प्रतिबद्धता करें।''
- यह उल्लेख करते हुए कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान विकासशील देशों के बीच सहयोग का प्रमुख अंश है, ''इब्सा का मानना है कि विकास की दिशा में प्राथमिक जिम्मेदारी उनके नेतृत्व और स्वामित्व के तहत खुद राष्ट्रों की है।'' विकासशील देशों के बीच सहयोग का उद्देश्य साझेदारों के बीच उच्च स्तर की क्षमता तथा आर्थिक अवसर उत्पन्न करना है।
- विकासशील देशों के बीच सहयोग संचालन के लिए साझेदार देशों के बीच एकजुटता की भावना से क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जारी है। विकास एजेंडे में तेजी लाने में विकासशील देशों के बीच सहयोग एक पूरक के रूप में कार्य करता है, न कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग के विकल्प के रूप में।''
- मंत्रियों ने समूह की 15 वीं वर्षगांठ मनाने के वास्ते 2018-19 के लिए प्रस्तावित इब्सा आयोजनों पर भी चर्चा की। वे इन तीनों देशों में कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत हुए।
- मंत्री बहुपक्षीय मंचों पर इब्सा सहयोग और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधारों के लिए उठाए गये कदमों को मजबूत करने पर भी सहमत हुए।
- वे ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (बीएपीए) +40 इवेंट्स के मद्देनजर अपने बहुपक्षीय मिशनों के जरिए विकासशील देशों के बीच सहयोग जारी रखने पर भी सहमत हुए।

इब्सा की वर्तमान प्रासंगिकता

त्रिक्षेत्रीय वयापार: विदित हो कि इब्सा के सदस्यों में ब्राजील जहाँ 'मर्कोसुर' का सदस्य है, वहीं दक्षिण अफ्रीका 'साकू' का सदस्य राष्ट्र है। ऐसे में, भारत के लिये इस त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं एवं उनके स्रोतों के विकास की दृष्टि से इब्सा सम्मेलन एक सुनहरा अवसर है। ध्यातव्य है कि 'मर्कोसुर' के साथ भारत का पहले से ही 'अधिमान्य व्यापार समझौता' (Preferential Trade Agreement - PTA) है, जबकि 'साकू' के साथ इस तरह के सबंध स्थापित करने के लिये वार्ता आरम्भ हो गई है।

भारत-साऊथ अफ्रीका के मध्य व्यापार 2011-12 में जहाँ 14704.29 मिलियन डॉलर था जो 2017-18 में घटकर 4176.60 मिलियन डॉलर रह गया है।

वहीं भारत-ब्राजील संबंध काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्ष 2015-16 में भारत-ब्राजील द्वीपक्षीय वयापार जहाँ 5.64 बिलियन डॉलर था जो वर्ष 2017 में बढ़कर 7.6 बिलियन डॉलर हो गया था। जिसे तीनों देश मिलकर बढ़ा सकते हैं। अब समय आ गया है कि ये देश अपना-अपना द्विपक्षीय व्यापार मजबूत कर इसको नई ऊँचाई दे।

- **इब्सा बैंक:** इब्सा कोष के निर्माण के लिये संगठन के तीनों देशों ने मार्च 2005 में ही यह फैसला लिया था कि प्रत्येक सदस्य इस कोष में 1 लाख डॉलर का वार्षिक अंशदान करेंगे। साथ ही, इब्सा कोष को बढ़ाकर 40 लाख डॉलर करने की योजना है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इब्सा कोष को एआईआईबी, एडीबी, ब्रिक्स बैंक आदि बैंकों की तरह बैंक का रूप द्वारा दिया जा सकता है जिससे की उनके द्वारा संचालित परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

पर्यावरण: आज पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी है। इस समस्या से निपटने के लिए विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। भरत-ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका तीनों विकासशील देश हैं साथ ही ये अपना विकास दर उच्च बनाये रखना चाहते हैं। इनको आर्थिक विकास की आवश्यकता है अत: इन देशों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन स्वभाविक है क्योंकि इनके पास धन तथा तकनीकी की कमी है। इसलिए ये देश विकसित देशों पर दबाव बनाकर ग्रीन तकनीकी की मांग प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। जिससे विकास के साथ-साथ पर्यावरण क्षरण की समस्या से भी निपटा जा सके।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक बदलाव के लिए एसएससी के सदस्य देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के बाद अब तक सुरक्षा परिषद में कोई बदलाव वहीं किया गया है। जबकि कई दक्षिण के देश विकसित अवस्था के करीब हैं। ऐसे में अगर ईब्सा मजबूत होता है तो विकासशील देशों की समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है।
- सामरिक दृष्टि से भी इब्सा का महत्व और भी बढ़ जाता है, एक तरफ एशिया में चीन व रूस अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए ईब्सा की मजबूती आवश्यक है। ये देश विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

चुनौतीयाँ

- श्रीमती सुषमा स्वराज ने मजबूती के साथ स्पष्ट रूप से सुरक्षा संबंधी रणनीतिक क्षेत्रों में अंत: ब्रिक्स सहयोग, आतंकवाद का विरोध, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की पहचान करने वाली भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। जिस पर मिलकर काम किए जाने की आवश्यकता है।
- उन्होंने अपने सम्बोधन में बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को रेखांकित किया। जो वैश्विकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और कट्टरपंथ के खिलाफ ब्रिक्स देशों की तरह इब्सा द्वारा संयुक्त कार्रवाई का आभाव।
- भारतीय विदेश मंत्रालय ने न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जैसी ब्रिक्स की प्रमुख पहलों को सुदृढ़ करने के लिए मजबूत जमीन तैयार कीये जाने की भी वकालत की।
- पिछले पांच सालों से "आईबीएसए वार्ता मंच" कागजों में ही कहीं मौजूद रहा है।
- विशेषज्ञों द्वारा आईबीएसए को कमजोर करने में चीन का हाथ बताया, क्योंकि आईबीएसए के तीनों सदस्य देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं, ऐसे में बीजिंग इस समूह को भंग करने के प्रयासों में लगातार लगा हुआ था। ''यद्यपि वैश्विक वृद्धि ने सही हालात के संकेत दर्शाए हैं, लेकिन दीर्घकालिक वृद्धि के समक्ष चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। वैश्वीकरण का लाभ सभी विकासशील देशों तक पहुंचाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।''

आगे की राह

- आईबीएसए ने विदेशी विकास सहायता प्रतिबद्धताओं को सम्मानित करने, मौजूदा संसाधनों को बढ़ाने और आवश्यक साधन प्रदान करने हेतू अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए वैश्विक स्तर पर उत्तरी देशों से आह्वान किया। जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, आईबीएसए अनिवार्य रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक प्रमुख संगठन है, विकास सहयोग ही वह क्षेत्र है, जहां आईबीएसए की काफी अधिक प्रासंगिकता है। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकास सहयोग को मुख्य आधार बनाने की आवश्यकता है।
- आईबीएसए घोषणा कहती है कि, विकास के एजेंडे को गति देने के क्रम में दक्षिण-दक्षिण सहयोग एक सहायक के रूप में कार्य करता है, ना कि उत्तर-उत्तर सहयोग के लिए एक विकल्प के रूप में। इसलिए इसे और अधिक धार देने की आवश्यकता है।
- आईबीएसए और ब्रिक्स केवल बातचीत के मंच नहीं हैं, बल्कि ये विभिन्न देशों, संस्कृति, सभ्यताओं, विचारों को एस साथ लेकर आगे बढ़ने के मंच हैं। जिसे और मजबूत बनाने की जरूरत है।
- हालांकि, आईबीएसए और ब्रिक्स को अलग-अलग रूपों में अवधारणाबद्ध किया गया है, मगर आईबीएसए वैश्विक स्तर पर दक्षिण के लिए अनिवार्य रूप से एक प्रमुख संगठन है, जबकि ब्रिक्स के पास यह दर्जा नहीं है। ऐसे में अगर इब्सा मजबूत होता है तो ये लाभ की स्थिति में रहेगा।
- आईबीएसए निरंतर कूटनीतिक साझेदार बना हुआ है, जबकि ब्रिक्स ऐसा नहीं कर पा रहा है। आईबीएसए के सदस्य ना केवल उभरते हुए लोकतंत्र हैं, बल्कि विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाले देश भी हैं। आईबीएसए वैश्विक स्तर पर दक्षिण द्वारा किए गए प्रयासों का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य "समानांतर ब्रह्मांड" और वैकल्पिक वैश्विक कथाओं का निर्माण करना है। यह एक नए विश्व का निर्माण करने का प्रयास है, जहां कई दुनिया एक साथ अस्तित्व में रह सकती है।
- भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थाई सदस्यता को मजबूती मिलेगी साथ ही एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत इसमें भी अग्रणी भूमिका निभाए।
- इब्सा की प्राथमिकताओं के रूप में धनशोधन, आतंकवादियों को वित्तीय मदद, साइबर स्पेस और कट्टरपंथ के खात्मे के लिए आतंकवाद रोधी रणनीति का आह्वान किया था।'' जिसे अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है।
- यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में ब्रिक्स सुरक्षा फोरम स्थापित करने पर बनी सहमति पूरी तरह क्रियान्वित हो।'' जो अब तक केवल कागजों पर ही सीमित था।
- भविष्य की वृद्धि और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके महत्व तथा उनके लिए रोजगार संभावनाओं के इंजन के रूप में प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।''
- भारत समावेशी विकास के मामले में निपुणता हासिल कर चुका है और औद्योगिक क्रांति के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग में एक महत्वपूर्ण देश होने के नाते, भारत अन्य विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने में मदद कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

3. ग्रीन जीडीपीः अर्थव्यवस्था का पर्यावरणीय आकलन

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने देश की पर्यावरणीय संपदा का जिला स्तरीय आंकड़ों की गणना करने का निर्णय लिया है। इन आंकड़ों का उपयोग मुख्य रूप से ग्रीन जीडीपी की गणना के लिए किया जायेगा। भारत में यह पहली बार है जब इस तरह का राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण किया जा रहा है। भारत में पर्यावरण विविधता और संपदा को सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता है लेकिन भारत में पर्यावरणीय मात्रात्मक पहलुओं का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है।

मुख्य तथ्य

- इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के ग्रीन जीडीपी की गणना के लिये कुछ संस्थाओं का उपयोग किया जायेगा।
- ग्रीन जीडीपी की गणना सरकारी नीति निर्धारण में मदद करेगी जैसे- भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे का भुगतान, जलवायु क्षति के लिये आवश्यक धन की गणना आदि।
- सरकार द्वारा इस वर्ष सितंबर में 54 जिलों में एक पयालट परियोजना शुरू की जायेगी।
- इस योजना के तहत भूमि को 'ग्रिड' में सिमांकित किया जायेगा और प्रत्येक जिले में लगभग 15-20 ग्रिड के साथ इसकी शुरूआत की जायेगी।
- राज्यों की भौगोलिक स्थिति, कृषिभूमि, वन्यजीव और उत्सर्जन के तरीकों में विविधता का आकलन किया जायेगा तथा इसके मूल्य की गणना करने के लिये उपयोग किया जाएगा।
- सूची के लिए आवश्यक अधिकांश डेटा, डेटासेट से प्राप्त किया जायेगा जो पहले से ही अन्य सरकारी मंत्रालयों के पास मौजूद है।

क्या है ग्रीन जीडीपी?

हरित या ग्रीन जीडीपी आमतौर पर पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीन जीडीपी से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कार्बन-उत्सर्जन और प्रदूषण कम से कम हो, ऊर्जा संसाधनों की प्रभावोत्पादकता बढ़े साथ ही जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली की सेवाओं के नुकसान कम करने में मदद हो।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य जैव विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मापना है।

ग्रीन जीडीपीः अवधारणा

ग्रीन जीडीपी = जीडीपी-(सीएनआर + ईडी + ईपीई) जहाँ,

ग्रीन जीडीपी = पर्यावरण समायोजित सकल घरेलू उत्पाद

जीडीपी = सकल घरेलू उत्पाद

सीएनआर = प्राकृतिक संसाधनों का दोहन

ईडी = पर्यावरणीय क्षति

ईपीई = पर्यावरण संरक्षण व्यय

पृष्ठभूमि

किसी देश की हरित जीडीपी से तात्पर्य यह है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस हद तक तैयार है दूसरे शब्दों में हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है जो कितना घट रहा है या बढ़ रहा है का आकलन करता है। विश्व में चीन ऐसा पहला देश है जिसने 2004 में पहली बार अपने सकल घरेलू उत्पाद में हरित जीडीपी का फॉर्मूला और पैमाना पेश किया। आर्थिक विकास में पर्यावरण नुकसान की कीमत को लेकर पहली बार चीन ने ही 2006 में 2004 के आंकड़े जारी किए थे। हरित जीडीपी का आंकड़ा जारी करने की दिशा में भारत में सोच 2009 में बनी जब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि भारत के वैज्ञानिक भी हरित जीडीपी का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद भारत में तत्कालीन सांख्यिकी प्रमुख 'प्रणब सेन' की अध्यक्षता में जीडीपी में हरित जीडीपी के आंकड़ों पर अध्ययन शुरू हुआ और पहली बार इसकी सूची वर्ष 2015 में जारी की गई।

भारत में पार्यवरण लेखांकन की शुरूआत 1990 के दशक में आरम्भ हुई जब भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी (एफडीईएस) के लिए एक ढांचा विकसित किया गया था। सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (आईएनटीओएसएआई) के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शन के बाद सीएजी, 2002 से भारत में पर्यावरण लेखा परीक्षण आयोजित करता है। सरकार द्वारा पर्यावरण लेखांकन के लिये 'तकनीकी कार्य समूह' की सिफारिश के आधार पर पॉयलट परियोजना 'प्राकृतिक संसाधन लेखांकन' की शुरूआत 1999-2000 के दौरान गोवा में की गई। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय संसाधन लेखांकन का अध्ययन 8 राज्यों में किया गया। सरकार ने 'प्रो. पार्थ दास गुप्ता' की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक दल 2011 में गठित किया। इस दल का कार्य राष्ट्रीय हरित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा संस्थागत सुधारों के साथ पर्यावरण पर आर्थिक विकास के प्रभावों का आकलन करना था।

2009 में सरकार ने घोषणा किया कि वो हरित जीडीपी का प्रकाशन करेगी जिसमें जंगलों, घास के मैदानों और प्राकृतिक भंडारों का क्षरण तथा पर्यावरणीय लागत शामिल होगी।

ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्यों

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वर्ष पहले भारत को वायु प्रदूषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% अर्थात 550 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। इस हिसाब से जल प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसे वाह्य कारक की लागत संभवतः और अधिक होगी। इससे यह पता चलता है कि आय का एक बड़ा हिस्सा जो लोगों के पास आना चाहिए वो पर्यावरण क्षरण के कारण बर्बाद हो रहा है। अब समय आ गया है कि भारत ग्रीन जीडीपी की ओर कदम बढ़ाए।
- अधिक उत्पादन के लालच में किसानों द्वारा उर्वरकों तथा रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करने से एक ओर जहाँ मिट्टी की उर्वरता तथा उत्पादकता में गिरावट आ रही है वहीं दूसरी तरफ मरूस्थलीकरण का दायरा बढ़ रहा है। एक शताब्दी के भीतर यदि इन प्रवृत्तियों को जारी रखा जाता है तो हमारे खाद्य उत्पादन में 10%-40% की कमी देखी जा सकती है।
- 2011 में केन्या की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहली बैठक में जो रिपोर्ट पेश की गई, उससे पता चलता है कि अगर पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का दो फीसदी हिस्सा सिर्फ 10 अहम क्षेत्रों में खर्च किया जाए तो दुनिया हरित अर्थव्यवस्था के मार्ग पर आसानी से अग्रसर हो जाएगी।

- विश्व की जैव विविधता का बहुत सारा हिस्सा पहले ही या तो नष्ट हो चुका है या फिर बर्बाद कर दिया गया है। ऊर्जा के लिए जिवाश्म ईंधनों के बढ़ते इस्तेमाल ने औद्योगिक उत्पादन पर कहीं ज्यादा खराब असर डाला है।
- "The Economics of Ecosystem and Biodiversity" (TEED) के रिपोर्ट के अनुसार कृषि के लिए रूपांतरण, बुनियादी ढाँचे के विस्तार जलीवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप 2000 में बचे हुए प्राकृतिक क्षेत्र का 11% तक खत्म हो सकता है।
- विश्व की करीब 50% आबादी पृथ्वी के 2% से भी कम भाग पर रह रही है, जबकि बाकी 50% आबादी दुनिया के 98% भाग पर रह रही है। जाहिर है इसका भी पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है।
- विश्व में ऊर्जा का 60 से 80 प्रतिशत का इस्तेमला शहरी इलाके कर रहे हैं जबकि बदले में दुनिया का 75% CO_2 वे ही उत्सर्जित कर रहे हैं।
- शहरों के विकास ने स्थानीय पर्यावरण पर असर डाला है, साफ पानी और स्वच्छता के अभाव के कारण गरीब ज्यादा प्रभावित हुए हैं नतीजतन बीमारियाँ बढ़ी हैं और आजीविका के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है।

सरकारी पहल

भारत में हरित लेखांकन के आंकड़ों को जारी करने की माँग बहुत पहले से ही पर्यावरणविदों द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार ने निम्न प्रयास किये हैं-

- वर्ष 2009 में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह एक 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' प्रकाशित करेगा जिसमें हमारे जंगलों, घास के मैदानों और प्राकृतिक भंडार को कम करने की पर्यावरणीय लागत शामिल होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक विशेषज्ञ कार्यक्रम, 'पर्यावरण सांख्यिकी 2013' का सारांश भी जारी किया गया है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर भूजल संसाधन मानचित्रण शुरू किया है, जबकि भूमि उपयोग, जंगलों और खनिज संपदा पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक समान रूप से कार्य किया गया है।
- सरकार ने दिसंबर 2015 में कोयले से उत्पन्न बिजली सयंत्रों के लिए नए व सख्त पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया है। जो जनवरी 2018 से प्रभावी है।
- 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 2017 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि 2030 तक देश में केवल बिजली के वाहनों का उत्पादन और उसे बेचा जा सके।
- बिजली के नवीकरणीय स्रोतों में संक्रमण को तेज करने के लिए, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सरकार ने 2021-22 तक 20 जीडब्ल्यू से 100 जीडब्ल्यू तक सौर क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को संशोधित किया है।

चुनौतियाँ

- पर्यावरण पूंजी पर सूक्ष्म स्तर का डेटा उपलब्ध नहीं है। उदाहरण स्वरूप, भौम जल स्तर की कुल मात्रा या विभिन्न क्षेत्रों में जहां पानी का उपयोग अधिक किया जाता है, जैसे मुद्दों पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- प्राकृतिक पूंजी दुनिया के प्राकृतिक संपत्तियों का स्टॉक है जिसमें भूविज्ञान, मिट्टी, वायु, पानी और सभी जीवित चीजें शामिल हैं। यहाँ पूंजी का अर्थ मनुष्य सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्राप्त करते हैं, जिन्हें अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, जो मानव जीवन को संभव बनाते हैं। इनकी कितनी क्षति हुई इसका आकलन नहीं हो पाता है।
- ग्रीन जीडीपी की गणना एक जटिल प्रक्रिया है डेटा अंतराल को सुधारने के लिए बजटीय आवंटन की कमी है।
- आर्थिक विकास के बाह्य कारकों को पारंपरिक जीडीपी संख्याओं में शामिली नहीं किया गया है, जिसका मौद्रिक मूल्य बड़ा है।
- भारत जीवाश्म ईंधन जैसे उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में एक है। जिसका स्थायित्व भविष्य में ज्ञात नहीं है। फिर भी, इसके द्वारा प्रदूषण लागत जीडीपी में शामिल नहीं है।
- डब्ल्यूडब्ल्यू- 'लिविंग प्लेनेट' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल भूमि का 25% मरूस्थल में तब्दील हो रहा है जबकि 32% गिरावट का सामना कर रहा है।
- पर्यावरणीय क्षति भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की भविष्य की खाद्य उत्पादन क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा क्योंकि सदी के अंत तक फसल उत्पादन में 10-40% की कमी हो सकती है।
- ग्रीन जीडीपी के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी।
- ग्रीन जीडीपी मूल्यांकन के लिए अलग से किसी नियामकीय निकाय का न होना।

आगे की राह

- पर्यावरण पूंजी पर सूक्ष्म स्तर का आंकड़ा एकत्रित करने की आवश्यकता है। आंकड़े एकत्रित होने से वास्तविक पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों को उन स्थानों पर प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकता है जहाँ पर्यावरण क्षति ज्यादा है।
- ग्रीन जीडीपी से संबंधित डेटा संगठन को सुधारने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आर्थिक विकास के वाह्य कारकों को पारंपरिक जीडीपी .... में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
- भारत को जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की जरूरत है। साथ ही इससे होने वाले प्रदूषण को जीडीपी में शामिल करने की आवश्यकता है।
- ग्रीन जीडीपी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- पर्यावरणीय मामलों से प्रभावी कई तरीके से निपटने के लिए एक अलग निकाय बनाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सब्सिडी भी दी जानी चाहिए।
- जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है।
- यूरोपीय देशों में पेट्रोल की खपत कम करने के लिए साइकिलिंग आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीदरलैण्ड तो अब साइकिलों के देश के तौर पर ही विख्यात हो गया है। इस पद्धति को भारत में भी लागू करने की जरूरत है।

- शहरों के आस-पास कृषि में नगर निगम के बेकार पानी और अपशिष्ट का दोबारा इस्तेमाल करके पानी को बचाया जा सकता है। इस तरह शहरों में परिवहन लागत को भी कम किया जा सकता है, साथ ही जैव विविधता और गीली भूमि को संरक्षित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

लगातार बढ़ती आबादी, औद्योगिक क्रांति का बढ़ता दबाव और बढ़ते प्रदूषण के चलते जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे विश्व पर सतत और हरित विकास की ओर बढ़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में प्रत्येक देश चाहता तो है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जलवायु देकर जाए। विश्व के देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्पर तो हैं लेकिन अपनी औद्योगिक उत्पादन में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार बिगड़ती आबो हवा और बढ़ते प्रदूषण की वजह से किसी न किसी को आगे आना ही होगा। अब समय आ गया है कि दुनिया को हरित अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना ही होगा जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक मिज़ाज बना रहे और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

4. भारत में मातृ मृत्युः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

भारत में वर्ष 2013 से मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में रिकार्ड 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। यह जानकारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) ने 06 जून 2018 को अपने द्वारा एकत्र किए गए डाटा के आधार पर दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-13 में मातृ मृत्यु दर जहां 167 थी वहीं वो वर्ष 2014-16 में घटकर 130 हो गयी। एमएमआर को 100,000 जीवित जन्मों की मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

मुख्य तथ्य

- यह गिरावट 'इंपावर्ड एक्शन ग्रुप' (ईएजी) राज्यों (246 से घटकर 188) में सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड और असम शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत की कमी के साथ राज्यों की रैकिंग में सबसे ऊपर है।
- मातृ मृत्यु दर पर रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिणी राज्यों में यह 93 से घटकर 77 और अन्य राज्यों में 115 से घटकर 93 रह गई है।
- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2016 में प्रसव के समय मां की मुत्यु के मामलों में करीब 12 हजार की कमी आई है और ऐसी स्थिति में माताओं की मृत्यु का कुल आंकड़ा पहली बार घटकर 32 हजार पर आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में वर्ष 2013 की तुलना में अब हर दिन 30 ज्यादा गर्भवती महिलाओं को बचाया जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

एसआरएस, राज्यों को तीन समूहों में विभाजित करता है-

1. सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group-EAG): बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम।
2. दक्षिणी राज्य- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
3. अन्य- शेष राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।

- अंतिम एसआरएस से सबसे ज्यादा कमी EAG राज्यों में हुई है जो 23% है अर्थात् यह 246 (2011-2013) से गिरकर 188 हो गया है, जबकि अन्य राज्यों में 19% की कमी आई है, 2011-2013 में एमएमआर 115 से घटकर 93 हो गया है।
- दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में जिनका बेहतर औसत 77 है गिरकर 17% हो गया है।
- उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड में 29% की भारी गिरावट आई है जहाँ एमएमआर 285 से 201 हो गया है।
- केरल 46 के एमएमआर (61 से नीचे) के साथ शीर्ष पर है।
- महाराष्ट्र ने 61 के साथ अपनी दूसरी स्थिति बरकरार रखी है, लेकिन गिरावट की गति सुस्त है जहाँ 2011-13 के दौरान एमएमआर 68 था।
- 66 (पूर्व में 79) के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मुताबिक, भारत ने 2014-2016 के लिये 139 के एमडीजी लक्ष्य को बेहतर बनाया है। यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है।
- यह एनएचएम के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा व्यवस्थित ढंग से किये गए कार्यो का नतीजा है जिसके परिणामस्वरूप 2015 में 12,000 और जान बचाई गई।
- 2013 की तुलना में 2016 में प्रसव के समय माँ की मृत्यु के मामलों में करीब 12 हजार की कमी आई है और ऐसी स्थिति में माताओं की मृत्यु का कुल आँकड़ा पहली बार घटकर 32 हजार पर आ गया है।
- इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 2013 की तुलना में अब हर दिन 30 से अधिक गर्भवती महिलाओं को बचाया जा रहा है।
- तीन राज्यों ने एमएमआर 70 के संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य को पहले से ही हासिल कर लिया है।
- कुल मिलाकर, यह विशेष रूप से EAG राज्यों में प्रभावशाली प्रगति का संकेत देता है।
- केरल और तमिलनाडु को और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिये लेकिन कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और हरियाणा ने निराश किया है।

पृष्ठभूमि

गर्भवति महिलाओं को मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाइयाँ दी जा रही हैं जो जच्चा-बच्चा दोंनो को स्वस्थ्य रखने मे मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें बच्चे को जन्म पर उसके परिवार को उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना मुख्य है। इसकी वजह से अब लोग घरों की बजाय अस्पताल में ही अपने बच्चे को जन्म देने के वास्ते जा रहे हैं। केरल राज्य में लगातार सुधार देखने को मिला है, जहां हर एक लाख माताओं में से केवल 81 माताओं की जन्म देते समय या जन्म देने के कुछ समय बाद मौत हो जाती है।

मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर ऐसी महिलाओं की संख्या है, जिनकी गर्भावस्था, प्रसव या गर्भावस्था के समापन के 42 दिनों के अंदर ऐसे कारण (दुर्घटना या आकस्मिक

कारणों को छोड़कर) से मृत्यु हो जाती है, जो गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से जुड़ा हो या जिससे उसकी गंभीरता में वृद्धि हुई हो। इस संदर्भ में गर्भावस्था की अवधि का कोई महत्व नहीं है।

वर्तमान में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु रोकना, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में हर 10 मिनट में गर्भावस्था से जुड़े किसी कारण से एक महिला की मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में से 15 प्रतिशत के मामले में किसी न किसी प्रकार की चिकित्सकीय जटिलता उभरने की संभावना रहती है। हर साल लगभग 48,000 मातृ मुत्यु होती हैं। इसके अतिरिक्त, लाखों महिलाएं और नवजात शिशु गर्भावस्था व प्रसव से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इस तरह, गर्भावस्था से जुड़ी मृत्यु व बीमारियां भारतीय महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 1990 से 2013 के बीच मातृ मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन पिछले वर्ष वैश्विक मातृ मृत्यु की एक तिहाई मौतें नाइजीरिया और भारत में हुई। वर्ष 1990 से 2013 के बीच मातृ मृत्यु आकलन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1990 में गर्भधारण संबंधी जटिलताओं के कारण और प्रसव के दौरान करीब 5,23,000 महिलाओं की मौत हुई जबकि 2013 में इन कारणों से करीब 2,89,000 महिलाओं की जान गई। इस आंकडे के अनुसार, मातृ मृत्यु दर में 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 62 प्रतिशत 179,000 मौतें उप सहारा अफ्रीका और 24 प्रतिशत 69,000 महिलाओं की मौत दक्षिणी एशिया में हुई है। देश के आधार पर देखा जाए तो 2013 में वैश्विक स्तर पर प्रसव या गर्भधारण संबंधी जटिलताओं के कारण जिन महिलाओं की मौत हुई उनमें से एक तिहाई महिलाओं की मौत भारत और नाइजीरिया में हुई। भारत में 17 प्रतिशत 50,000 महिलाओं और नाइजीरिया में 14 प्रतिशत 40,000 महिलाओं की मौत हुई।

भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां 2013 में हुई वैश्विक मातृ मृत्यु की 58 प्रतिशत मौत हुई। इस सूची में नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तंजानिया, केन्या, चीन एवं युगांडा शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मातृ मृत्यु दर में 1990 की तुलना में 2013 में 65 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह दर वर्ष 1990 में 560 थी जो 2013 में घट कर 190 रह गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission (NHM) के तहत कुछ विशिष्ट प्रयास किये गए हैं ताकि देश में मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकें। एन.एच.एम. द्वारा उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं-

जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)

- जननी सुरक्षा कार्यक्रम की शुरूआत यह सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि प्रत्येक गर्भवती महिला तथा एक माह तक के रूग्ण नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत तथा खर्चे के स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सके।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त प्रजनन सुविधाएँ मुहैया की जाती हैं।
- गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में दवाएँ दी जाती हैं, इनमें आयरन फॉलिक अम्ल जैसे सप्लीमेंट भी शामिल हैं।
- इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को खून, पेशाब की जाँच, अल्ट्रा-सोनोग्राफी आदि अनिवार्य और वांछित जाँच भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है।
- सेवा केंद्रों में सामान्य डिलीवरी होने पर तीन दिन तथा सीजेरियन डिलीवरी के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। इतना ही नहीं आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त खून भी दिया जाता है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्य

- 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्य (Janani Shishu Suraksha Karyakaram & JSSK) शुरू किया गया है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूरी तरह से नि:शुल्क (सीजेरियन खंड सहित) डिलीवरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- इस पहल के अंतर्गत मुफ्त ड्रग्स, निदानिकी (diagnostics), रक्त और आहार पर आधारित मुद्दों को शामिल किया गया है, इसके साथ-साथ घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन सेवा के साथ-साथ, रेफरल के मामले में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख को निश्चित रूप से व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan & PMSMA) शुरू किया गया।
- इस अभियान के एक भाग के रूप में ओ. बी. जी.वाई. (obstetrics/gynecologists-OBGY) विशेषज्ञों/रेडियोलॉजिस्ट/चिकित्सकों द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के समर्थन के साथ-साथ जन्मपूर्व देखभाल सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है।

एनीमिया के संबंध में प्रावधान

- एनीमिया की जाँच करने के लिये गर्भवती महिलाओं की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रसव पूर्व दी जाने वाली देखभाल सेवाओं का ही एक हिस्सा है
- इसकी महत्ता को मद्देनजर रखते हुए सभी गर्भवती महिलाओं को उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से लौह और फोलिक एसिड की गोलियाँ प्रदान की जाती है।
- सभी महिलाओं तक इस योजना की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका अनुपालन ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (Village Health & Nutrition Days - VHNDs) जैसी आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से संपन्न किया जाता है।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पहली तिमाही के बाद प्रसव तक के समय के लिये लौह और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है।
- इन गोलियों का सेवन प्रसवोत्तर अवधि के दौरान भी जारी रखने की सलाह दी जाती है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के बारे में

- भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) देश और प्रमुख राज्यों के लिए मृत्यु दर के प्रत्येक आकलन प्रदान करने का एक मात्र स्रोत है।
- यह आकलन 1997 से प्रदान किये जा रहे हैं। मातृ मुत्यु दर संबंधी आंकड़े मौखिक शव-परीक्षा (ऑटाप्सी) के आधार पर तैयार किये जाते हैं, जो एसआरएस के अधीन बताई गयी सभी मरने वालों के बारे में जानकारी के आधार पर क्रियान्वित की जाती है।

- त्वरित आकलन तैयार करने के लिए तीन वर्षो के आकड़ों को जोड़कर मातृ मृत्यु अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- विदित हो कि नमूना पंजीकरण प्रणाली बड़े पैमाने पर होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्मदर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन तथा मृत्यु संबंधी संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।
- जमीनी जांच में चुनी हुई इकाइयों में पार्ट टाइम गणनाकारों आमतौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अध्यापकों द्वारा चुनी हुई नमूना इकाइयों में जन्म और मृत्यु की लगातार गिनती की जाती है और एसआरएस के सुपरवाइजर हर छह महीने में स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं।

इन दो स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों को मिलाया जाता है। बेमेल और आंशिक रूप से मेल खाने की स्थिति में इनकी दोबारा पुष्टि की जाती है और इसके बाद जन्म और मृत्यु की गणना की जाती है।

मातृ-मृत्यु दर के कारण

भारत जैसे विकासशील देश में मातृ-मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है। इस उच्च अनुपात के लिए चिकित्सा कारकों के अलावा विभिन्न सामाजिक, जनसांख्यिकीय कारक भी जिम्मेदार हैं। भारत सरकार ने इस समस्या पर नियंत्रण के लिए कई तरह के कदम उठायी है फिर भी परिणाम को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

भारत में मातृ मृत्यु दर के निम्नलिखित कारण हैं

- सरकार द्वारा एनएचआरएम जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयन (हस्तक्षेप में) अंतराल।
- कुशल एवं र्प्याप्त चिकित्सकों एवं नर्सों का अभाव।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मरीज-डाक्टर अनुपात कम (1:1700) होना।
- स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनरक्षक उपकरणों तथा दवाओं की अनुपलब्धता।
- सार्वजनिक अस्पतालों में नौकरशाही तथा सेवाओं में लेट-लतीफी इत्यादि।
- डॉक्टरों द्वारा किसी विशेष फर्मा कंपनी की महंगी दवाओं को वरीयता देना।
- निजी अस्पतालों का तथा जीवन रक्षक दवाओं का महंगा होना।
- अस्पतालों की अपर्याप्त धारण क्षमता।
- राजनेताओं द्वारा भारतीय डॉक्टरों तथा अस्पतालों की उपेक्षा इत्यादि।
- गरीबी के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समूह भौगोलिक दृष्टि से दूरदराज के इलाकों की महिलाएँ काफी प्रभावित होती है।
- प्रसवपूर्व देखभाल, जाँच तथा अपातकालीन परिवहन की कमी।
- गर्भपात सेवाओं की कमी तथा एनीमिया का प्रसार।
- स्वास्थ्य देखभाल पर कम सरकारी व्यय उच्च मातृ-मृत्यु दर के लिए एक कारण हैं।
- महिलाओं का कम उम्र में विवाह जिसमें कम उम्र में गर्भावस्था की शुरूआत।
- दो प्रसव के बीच कम अंतर आदि सामाजिक कारक हैं।
- महिलाओं के बीच कुपोषण की उच्च दर आदि।
- कई कार्यक्रमों के बावजूद शासन और जबावदेही में एक बड़ा अंतर है। अधिकांश कार्यक्रम जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं हुए।
- अशिक्षा के कारण सही जानकारी के अभाव में गर्भवती महिलाएँ अपने स्वास्थ्य की जाँच समय पर नहीं कराती हैं और न ही अपने परिजनों को इस बारे में अवगत कराती हैं जिससे समस्या गंभीर होने पर ही डॉक्टर से सम्पर्क करती हैं।

समाधान

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नए दिशानिर्देश के अनुसार मृत प्रसव व गर्भावस्था की जटिलताओं की जोखिम को कम करने के लिए भारत के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं के पास जाने की आवृति को दोगुना कर देना चाहिए।
- डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को, एनीमिया, प्रसव संबंधी जरूरतों, जन्म के समय कम वजन और अपरिपक्व जन्म को रोकने के लिए रोजाना आयरन और अपरिपक्व जन्म को रोकने के लिए योजना आयरन की 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम और फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम (0.4 मिलीग्राम) की खुराक लेनी चाहिए।
- प्रसव पूर्व देखभाल के लिए चार जाँच की तुलना में आठ जाँच से प्रसवकालीन मौतों के आंकड़ों में काफी कमी लायी जा सकती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अल्ट्रासांउड रेडियोग्राफ द्वारा किया जाना चाहिए।
- मातृ मृत्यु की घटनाओं की संपूर्ण और ठीक-ठाक जानकारी इकट्ठा करना, मातृ मृत्यु दर की कमी की दिशा में पहला कदम है। मातृ मृत्यु की गणना करने और उनके विश्लेषण करने के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईमानदारी और प्रतिबद्धता से प्रयास किया जाना चाहिए।
- गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा द्वारा तत्काल बड़े व बेहतर अस्पतालों में पहुँचाने में होने वाली परेशानियाँ, मातृ मृत्यु कम करने की राह में एक बड़ा रोड़ा है। पिछड़े राज्यों के गरीब परिवारों खासकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गो की गर्भवती महिलाओं अस्पतालों में पहुँचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध हो, इसकी गारंटी दी जानी चाहिए।
- सरकार को प्राथमिक एवं द्वितीय स्वास्थ्य संस्थानों की भौतिक व मानव संसाधन अधोसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर बनाना चाहिए। इन संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएँ व उपकरण आदि उपलब्ध करवाये जाने चाहिए ताकि वे गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन प्रसूती सेवा उपलब्ध करवा सकें।
- सभी मातृ मृत्यु की सार्वजनिक जांच जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) या कलेक्टर द्वारा की जानी चाहिए जैसा कि तमिलनाडु राज्य में की जा रही है।
- समग्रतः हम कह सकते हैं कि गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा तथा सरकारी पहल के बावजूद स्वास्थ्य योजनाओं का जमीनी स्तर पर पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं होना ही मातृ मृत्यु का जड़ हैं अतः इस जड़ पर प्रहार करके ही इसके समाधान की मंजिल तक पहुँचा जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

5. सत्याग्रह के 125 वर्ष और वर्तमान प्रासंगिकता

चर्चा का कारण

7 जून 2018 को सत्याग्रह आंदोलन का 125वाँ वर्ष मनाया गया। भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और गांधी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता पर गोष्ठियां आयोजित की गई।

उल्लेखनीय है कि 7 जून 1983 के दिन साउथ अफ्रीका में मोहनदास कर्मचंद्र गांधी को पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेक दिया गया था। दरअसल गांधी ट्रेन के फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे और उस समय अफ्रीका में सिर्फ अंग्रेजों को ही फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर करने की इजाजत थी। गांधी को एक अंग्रेज ने सेकंड क्लास में जाने को कहा जिसे महात्मा गांधी ने अपना टिकट दिखाकर जाने से इंकार कर दिया। इसके बाद गांधी को उस अंग्रेज ने ट्रेन से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यहीं से गांधी जी के अंदर सत्याग्रह के रास्ते अन्याय से लड़ने का विचार अभिव्यक्त हुआ।

सत्याग्रह से अभिप्राय

सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति समर्पण या 'सत्य की शक्ति' है। सत्याग्रह का अनुयायी सत्याग्रही अहिंसा का पालन करते हुए शान्ति व प्रेम का लक्ष्य सामने रखकर सत्य की खोज द्वारा किसी बुराई की वास्तविक प्रकृति को देखने की सही अंत:दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसका अभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्य और अंहिसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग था। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कष्ट सहन द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो। दक्षिण अफ्रीका में इस आन्दोलन को अत्यधिक सफलता मिली। जनरल स्मट्स को प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन का औचित्य स्वीकार करना पड़ा और भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। अन्तत: इस आन्दोलन से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की अनेक शिकायतें दूर हुईं। इस आन्दोलन द्वारा सत्याग्रही को निरपेक्ष सत्य का बोध होता है। गलत के प्रति समर्पण या उससे किसी प्रकार के सहयोग से अपने इनकार से सत्याग्रही इस सत्य को स्थापित करता है। सत्याग्रही हमेशा ही अपने विरोधी को अपने इरादों की पूर्व चेतावनी देता रहता है। सत्याग्रह केवल सविनय अवज्ञा ही नहीं है, इसकी पूर्ण कार्य-पद्धतियों में उचित दैनिक जीवन निर्वाह से लेकर वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों का निर्माण तक आ जाता है। सत्याग्रह हृदय परिवर्तन के जरिये जीतने का प्रयास करता है, जिसके अन्त में कोई हार या जीत नहीं होती, बल्कि एक नए सामंजस्य का उदय होता है।

पृष्ठभूमि

महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरो के लेखन, ईसाईयों की बाइबिल, भागवद्गीता और अन्य हिन्दू शास्त्रों से सत्याग्रह की अपनी अवधारणा को सूत्रबद्ध किया। सत्याग्रह का मूल हिन्दू अवधारणा अहिंसा में है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किये जाने के खिलाफ 1906 ई. में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोध सभा का आयोजन हुआ। गांधी जी बिना किसी हिंसा के दक्षिण अफ्रीका में वहां के सुरक्षाकर्मियों के सामने अध्यादेश को आग के हवाले कर दिया। इस पर गांधी जी को लाठी चार्ज का भी सामना करना पड़ा था। फिर भी गांधी जी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे।

सन् 1915 में जब गांधी जी भारत आऐ तो देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह का कई बार सफल प्रयोग कर चुके थे। स्वदेश लौटने पर कुछ दिनों तक उन्होंने देश का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया तथा इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य लेकर स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में स्वतंत्रता का वचन देकर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के प्रति अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया तब गांधी जी ने सत्याग्रह का बिगुल बजाया।

भारत में पहला सत्याग्रह आन्दोलन 1917 ई. में नील की खेती वाले चम्पारण जिले में हुआ। इसके बाद के वर्षों में सत्याग्रह के तरीकों के रूप में उपवास और आर्थिक बहिष्कार का उपयोग किया गया। सत्याग्रह अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करता जान पड़ता है कि विरोधी पक्ष किसी न किसी स्तर की नैतिकता का पालन करेगा, जिसे सत्याग्रही का सत्य अन्तत: शायद प्रभावित कर जाए। लेकिन स्वयं गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह कहीं भी सम्भव है, क्योंकि यह किसी को भी परिवर्तित कर सकता है।

1920 ई. के राष्ट्रीय आन्दोलन में इसका प्रयोग भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के रूप में हुआ। तत्पश्चात् इसका स्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन में परिवर्तित हो गया। निश्चय ही इस आन्दोलन ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन का अन्त करने के लिए कृतसंकल्प किया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इसका ठोस योगदान रहा है।

सत्याग्रह आंदोलन को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं-

चंपारण सत्याग्रह

बिहार में चंपारण जिले को ये सौभाग्य प्राप्त है कि दक्षिण अफ्रिका से वापस आकर महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन का प्रारम्भ यहीं से किया। चंपारण सत्याग्रह में गाँधी जी को सफलता भी प्राप्त हुई। चंपारण में अंग्रेजों ने नील बनाने के अनेकों कारखाने खोल रखे थे। ऐसे अंग्रेजों को निहले कहा जाता था। ये अंग्रेज यहाँ के किसानो को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेजों का कहना था कि एक बीघे जमीन पे तीन कठ्ठे नील की खेती जरूर करें। इस प्रकार पैदा हुई नील को ये निहले कौड़ियों के दाम खरीदते थे। इस प्रथा को तीन कठिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के कारण चंपारण के किसानों का भंयकर शोषण हो रहा था।

फलत: किसानो में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक असंतोष फैल चुका था। ये अंग्रेज यहाँ की जनता का अन्य प्रकार से भी शोषण किया करते थे, जिससे व्यथित होकर चंपारण के एक निवासी राजकुमार शुक्ल जो स्वंय एक किसान थे, इस अत्याचार का वर्णन करने के लिए गाँधी जी के पास गये। राजकुमार शुक्ल के सतत प्रयत्नो से ही राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में एक प्रस्ताव प्रस्ताव पारित कर चंपारण के किसानो के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई।

15 अप्रेल को गाँधी जी मोतिहारी पहुँचे, वहाँ से 16 अप्रैल की सुबह जब गाँधी जी चंपारण के लिये प्रस्थान कर रहे थे, तभी मोतीहारी के एस डी ओ के सामने उपस्थित होने का सरकारी आदेश उन्हे प्राप्त हुआ। उस आदेश में ये भी लिखा हुआ

था कि वे इस क्षेत्र को छोड़कर तुरंत वापस चले जायें। गाँधी जी ने इस आज्ञा का उलंघन कर अपनी यात्रा को जारी रखा। आदेश की अवहेलना के कारण उनपर मुकदमा चलाया गया। चंपारण पहुँच कर गाँधी जी ने वहाँ के जिलाधिकारी को लिखकर सुचित किया कि, वे तब तक चंपारण नही छोड़ेगें, जब तक नील की खेती से जुड़ी समस्याओं की जाँच वो पूरी नही कर लेते।

जब गाँधी जी सबडिविजनल की अदालत में उपस्थित हुए तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहले से ही गाँधी जी के दर्शन को उपस्थित थे। मजिस्ट्रेट मुकदमें की कार्यवाही स्थगित करना चाहता था, किन्तु गाँधी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि सरकारी उलंघन का अपराध वे स्वीकार करते हैं।गाँधी जी ने वहाँ एक संक्षिप्त बयान दिया जिसमें उन्होने, चंपारण में आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होने कहा कि "वे अपनी अंतरआत्मा की आवाज पर चंपारण के किसानों की सहायता हेतु आये हैं और उन्हे मजबूर होकर सरकारी आदेश का उलंघन करना पड़ा। इसके लिए उन्हे जो भी दंड दिया जायेगा उसे वे भुगतने के लिये तैयार हैं। गाँधी जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण था। तत्पश्चात बिहार के लैफ्टिनेट गर्वनर ने मजिस्ट्रेट को मुकदमा वापस लेने को कहा। इस प्रकार गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का ज्वलंत उदाहरण पेश किया। गाँधी जी की बातों का ऐसा असर हुआ कि, वहाँ की सरकार की तरफ से उन्हे पूरे सहयोग का आश्वासन प्राप्त हुआ। चंपारण के किसानो की समस्या को सुलझाने में गाँधी जी को बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आर्चाय जे पी कृपलानी, बाबू बृजकिशोर प्रसाद तथा मौलाना मजरुल्लहक जैसे विशिष्ट लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

गाँधी जी और उनके सहयोगियों तथा वहाँ के किसानों की सक्रियता के कारण तत्कालीन बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसके मनोनीत सदस्य गाँधी जी भी थे। इस कमेटी की रिपोर्ट को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया और तीन कठ्ठा प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा किसानों के हित में अनेक सुविधायें दी गई। इस प्रकार निहलों के विरुद्ध ये आन्दोलन सफलता पूवर्क समाप्त हुआ।

इससे चंपारण के किसानों में आत्मविश्वास जगा और अन्याय के प्रति लड़ने के लिये उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम अहिंसात्मक सफल आन्दोलन था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व के प्रति जन-साधारण की आस्था का श्री गंणेश चंपारण सत्याग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार गाँधी जी द्वारा भारत में पहले सत्याग्रह आन्दोलन का शंखनाद चंपारण से शुरु हुआ।

खेड़ा सत्याग्रह

गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में सन् 1917 में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। जिसकी वजह से भयंकर आकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पशु हो या मनुष्य सभी के लिये भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी विषम परिस्थिति में खेड़ा के किसानो ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे इस वर्ष मालगुजारी न वसूल की जाये। श्री अमृत लाल ठक्कर, श्री मोहन लाल पाण्डया और शंकर लाल पारिख आदि नेताओं ने कमिश्नर को एक प्रतिवेदन देकर उनका ध्यान किसानो की बदहाली की ओर आकृष्ट किया। गुजरात सभा की अध्यक्ष की हैसियत से गाँधी जी ने भी सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखकर एवं तार भेजकर प्रार्थना की, कि मालगुजारी की वसूली को स्थगित कर दिया जाये किन्तु अंग्रेज नौकरशाही कुछ भी सुनने को तैयार नही थे। तब गाँधी जी ने खेड़ा जिले के किसानो को सत्याग्रह की सलाह दी। इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई विठ्ठल भाई पटेल, शंकर लाल बैंकर, श्रीमति अनुसुइया बहन, इन्दुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई आदि नेताओं ने गाँधी जी का सहयोग किया। सत्याग्रह के प्रारंभ में सभी सत्याग्रहियों से गाँधी जी ने ये शपथ लेने को कहा कि, "क्योंकि हमारे गॉवों में फसल एक चौथाई से भी कम हुई है इसलिये हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया था कि मालगुजारी की वसूली अगले साल तक के लिये स्थगित कर दिया जाये किन्तु सरकार ने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया। अत: हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि, इस साल सरकार को पूरी या बकाया मालगुजारी नही देंगे। इसके लिये सरकार जो भी कदम उठायेगी वो दंड स्वीकार करने के लिये हम खुशी से तैयार हैं, भले ही हमारी जमीन जब्त कर ली जाये फिर भी हम सरकार को मालगुजारी देकर अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचायेंगे।

खेड़ा सत्याग्रह में किसानो के आन्दोलन का ये तरीका बिलकुल नया था। गाँधी जी गॉव-गॉव घूमकर किसानो को हर हाल में शान्ति बनाये रखने की अपील कर रहे थे । उन्होने किसानो में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। गाँधी जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि खेड़ा के किसानो ने पूरा आन्दोलन शान्तिपूर्ण तथा निर्भिकता से आगे बढाया। सरकारी दमन चक्र चलता रहा कुछ सत्याग्रही गिरफ्तार भी किये गये। मवेशियों तथा जमीनो को भी सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। इन सब कठिनाईयों के बावजूद भी किसान दृढ़ता से अपने सत्याग्रह आन्दोलन पर डटे रहे। परिणामस्वरूप मजबूर होकर सरकार को किसानो से समझौता करना पड़ा। इस आन्दोलन से गुजरात के किसानो को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और देश में एकता की शक्ति का नारा बुलंद हुआ।

बारदोली सत्याग्रह

सन् 1928 में जब साइमन कमिशन भारत में आया, तब उसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया गया था। इस बहिष्कार के कारण भारत के लोगों में आजादी के प्रति अदम्य उत्साह था। जब कमिशन भारत में ही था, तब बारदोली का सत्याग्रह भी प्रारंभ हो गया था। बारदोली गुजरात जिले में स्थित है। बारदोली में सत्याग्रह करने का प्रमुख कारण ये था कि, वहाँ के किसान जो वार्षिक लगान दे रहे थे, उसमें अचानक 30% की वृद्धि कर दी गई थी और बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। इस बढ़े हुए लगान के प्रति किसानों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। मुम्बई राज्य की विधानसभा ने भी इस वृद्धि लगान का विरोध किया था। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिलने गया परंतु उसका कोई असर नही हुआ। अनेक जन सभाओं द्वारा भी इस लगान का विरोध किया गया किन्तु मुम्बई सरकार टस से मस न हुई। तब विवश होकर इस लगान के विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया।

किसानों की एक विशाल सभा बारदोली में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर नही दिया जायेगा। जो सरकारी कर्मचारी लगान लेने आयेंगे उनके साथ असहयोग किया जायेगा क्योंकि उस दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए खाने एवं आने-जाने की व्यवस्था किसानों द्वारा की जाती थी। इस आन्दोलन की जिम्मेदारी श्री वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। जिसे उन्होने गाँधी जी की सलाह पर स्वीकार किया। बारदोली में जब सरकारी कर्मचारियों को लगान नही मिला तो वे किसानो के जानवरों को उठाकर ले जाने लगे। किसानो की चल अचल सम्पत्ति भी कुर्क की जाने लगी। इस अत्याचार के विरोध में विठ्ठल भाई पटेल जो की वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, उन्होने सरकार को चेतावनी दी कि, यदि ये

अत्याचार बंद नही हुआ तो वे केन्द्रिय असेम्बली के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देंगे।

बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में गाँधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। जगह-जगह सभाएं हुई और बारदोली की घटना का जिक्र पूरे देश में फैल गया। समाचार पत्रों के मजदूर नेताओं द्वारा भी सरकार से अनुरोध किया गया कि किसानो पर बढ़े लगान के बोझ को कम किया जाये। सभी प्रदेशों के किसान संगठन ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि बढ़ा हुआ लगान वापस नही हुआ तो वो भी अपने प्रदेश में लगान बंदी आन्दोलन चलायेंगे। गाँधी जी के मार्गदर्शन से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आन्दोलन का असर सरकार पर हुआ और वायसराय की सलाह पर मुम्बई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द करने की घोषणा करते हुए, सभी किसानो की भूमि तथा जानवरों को लौटाने का सरकारी फरमान जारी किया। गिरफ्तार किये गये किसानो को रिहा कर दिया गया। इस आन्दोलन की सफलता के उपलक्ष्य में 11 और 12 अगस्त को विजय दिवस मनाया गया। जिसमें वल्लभ भाई पटेल की सूझ-बूझ की भी प्रशंसा की गई। इसी आन्दोलन की सफलता पर एक विशाल सभा में गाँधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए।

सत्याग्रह आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता

वर्तमान समय में आतंकवाद, परमाणु युद्ध के खतरे, पारिस्थितिकी क्षरण, जलवायु में हो रहे बदलाव, तेजी से फैलता भूमंडलीकरण, उदारवादी आर्थिक नीतियों से निकलने वाले नतीजे, बढ़ती हुई गरीबी, गैर-बराबरी और प्रजातंत्रात्मक राज्य प्रणालीयों में भी नागरिक अधिकारों का सिमटना आदि ऐसे सवाल हैं जो सभी नागरिकों के जेहन में बने हुए हैं। इन सबमें भी विश्व के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वह आतंकवाद है। विश्व के लगभग सभी देश आज हिंसा एवं आतंकवाद से पीड़ित हैं। इसके समाधान के लिए विश्व के सभी देशों द्वारा रास्ते तलाशे जा रहे हैं लेकिन अपेक्षाअनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अब यदि इन प्रश्नों का सीधे तौर पर उत्तर सत्याग्रह के जरिये खोजा जाय तो शायद उत्तर मिलना मुश्किल है। लेकिन सत्याग्रह के व्यापक स्वरूप को समझकर और उसके सही रास्ते पर चलकर देखा जाय तो आतंकवाद, परमाणु युद्ध, नक्सलवाद तथा पर्यावरणीय मुद्दों को काफी हद तक हल किया जा सकता है। सत्याग्रह का मूल उद्देश्य है कि वह सामने वाले को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दे। एक शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाय जिसमें कि रक्तपात की कोई गुजाइंस नहीं है। सत्याग्रह के तहत यदि अपने विचारों को सही तरीके से और दृढ़ता के साथ रखा जाय तो वह प्रभावशील हो सकता है जिसका कि गांधी जी ने बखूबी प्रयोग किया।

हालांकि वर्तमान परिस्थिति को देखें तो सत्याग्रह का प्रभाव उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना 20वीं शताब्दी में था। इसलिए कई लोग सत्याग्रह की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज के समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। आज का समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। नैतिकता, इमानदारी आदि का तेज गति से ह्रास हुआ है। इसके साथ दो देशों के बीच संबंधों का आधार आर्थिक ज्यादा हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा नये-नये खोजों से जो हथियारों का होड़ चला है वह अहिंसा व सत्याग्रह के रास्ते को काफी पीछे छोड़ दिया है।

उल्लेखनीय है कि कोई देश हो या फिर समाज हर कोई अपने अधिकार की बात करता है जबकि उसके क्या कर्तव्य है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जहाँ कहीं भी अधिकार कर्तव्य पर भारी पड़ता है वहा सत्याग्रह और अहिंसा की बात बेमानी लगती है। सत्याग्रह के लिए नैतिक पक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है लेकिन वर्तमान समय में इसी का अभाव दिखता है। विश्व स्तर पर जिस तेज गति से हथियार व्यवस्था की बुराइया बढ़ रही है उसे देखते हुए सत्याग्रह अपने मूल रूप में कायम और कारगर हो पाएगा इसकी संभावना कम ही है।

यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे तो सत्याग्रह पहले भी प्रासंगिक था और आज भी है। भारत का समाज विश्व समाज से काफी भिन्न है। यहाँ पर विरोध करने के तरीके, आंदोलन का स्वरूप तथा सरकार से सहयोग और असहयोग की भावना में काफी भिन्नता है। देश में आज भी कोई बड़ा आंदोलन होता है चाहे वह कृषक आंदोलन, छात्र आंदोलन, या फिर कर्मचारियों का आंदोलन हो सबकी पहल लगभग अहिंसक होती है तथा इनमें सत्याग्रह का भी प्रयोग किया जाता है। आजादी के बाद भी भारत में सत्याग्रह का कई बार प्रयोग किया गया है। अभी हाल ही में किसानों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था जिसे व्यापक समर्थन भी मिला था। अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा किये गये किसान आंदोलन के सामने सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी थी।

सत्याग्रह जो कि मूलरूप से जनता का अस्त्र है, में कई समस्याओं का समाधान छिपा है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आज के समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद आदि जैसी समस्याओं का समाधान सत्याग्रह से नहीं हो सकता क्योंकि ये समस्यायें अब अपने मूल रूप से न होकर विकृत रूप धारण कर चुकी है। सत्याग्रह से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि जैसी समस्याओं के लिए सरकार पर जनता द्वारा दबाव बनाया जा सकता है। यह सही है कि भारत की कई समस्याओं का समाधान सत्याग्रह के मूल में छिपा हुआ है लेकिन सभी समस्याओं का समाधान इससे हो पाना असंभव है। गांधी जी भी कहते थे कि सत्याग्रह अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि यह एक प्रयोग है। इसके अंदर भी सुधार की कई संभावनायें विद्‌मान है।

निष्कर्ष

जब तक समाज मौजूद है तब तक सत्याग्रह प्रासंगिक रहेगा। बस सवाल यही है कि क्या हम नागरिक इसके सार को समझने में सक्षम है, इसे अपने जीवन में कितना लागू करते हैं और अपने आदर्शों पर कितना जीते हैं। सत्याग्रह मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने और बनाये रखने का सबसे अच्छा हथियार है।

गांधी जी का सत्याग्रह राजनीतिक समाधान के लिए एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। मानवाधिकार, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-राजनीतिक अशांति और राजनीतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित कई समकालीन चुनौतियों का सामना गांधीवादी मार्ग को अपनाने के माध्सम से किया जा सकता है। विश्व स्तर पर भी कई देशों में सत्याग्रह के जरिये अपने मांगों को मांगा जा रहा है और उसका प्रभाव भी पड़ा है। अतः इससे कहा जा सकता है कि सत्याग्रह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह पहले था।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/ उनका योगदान।

■

6. विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकः एक मूल्यांकन

चर्चा का कारण

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने 29 मई, 2018 को अपने गठन के 70वाँ वर्षगाठ मानाया। 29 मई 1948 के बाद से ही पूरे विश्व में शांति की निगरानी के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस शांति सेना में सैन्य योगदान के नजरिये से विश्व के सभी देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा विभिन्न अशांत क्षेत्रों में चलाये जाने वाले शांति मिशनों में हताहत होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है।

क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए सामूहिक कार्य की जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान करता है। इसी जिम्मेदारी के तहत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन किया गया। शांति सेना का गठन 128 देशों के द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किये गये सैनिकों के द्वारा किया जाता है। विश्व के अशांत क्षेत्रों एवं गृहयुद्ध आदि से पीड़ित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक शांति रक्षक अभियान सुरक्षा परिषद के द्वारा अधिकृत रहता है।

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि इसका आरंभ 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले ही मिशन, 1948 में हुए अरब-इजराइल युद्ध के दौरान युद्धविराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना गृहयुद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों में शांति स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य करती आ रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक विविध पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं।

स्मरणीय है कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इस सेना की परिकल्पना नहीं की गई थी बल्कि बदलती परिस्थितियों के साथ इसका विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सेनाओं की मदद से एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में अलग-अलग परिस्थितियों में गठित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग की कैप लगाते हैं या नीले रंग के हेल्मेट पहनते हैं, जो इस सेना की पहचना है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं है और शांति सेना के सदस्य अपने देश की सेना के सदस्य ही रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तीन बुनियादी सिद्धांत है जैसे शामिल सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखना, शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना तथा आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं करना।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पिछले 70 सालों के विभिन्न शांति रक्षक अभियानों में कई देशों ने अपना योगदान दिया है। इस समय शांति अभियानों में सर्वाधिक अभियान अफ्रीकी महाद्वीप में चल रहे हैं। इनमें साइप्रस, दक्षिण सूडान, तिमूर कांगो, सियरा लियोन, लेबनान, माली, हैती आदि देश शामिल हैं।

यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे तो संयुक्त राष्ट्र के पिछले 70 सालों के विभिन्न शांति रक्षक अभियानों में भारत के सबसे अधिक शांतिरक्षक सहीद हुये हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में कर्तव्य निर्वहन के दौरान देश के 163 शांतिरक्षकों को बलिदान देना पड़ा है। इनमें सेना, पुलिस और असैन्य कर्मचारी भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1948 से अब तक 3737 शांति रक्षकों की जान गयी। इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों के मामले में योगदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।

इस समय इसके 6693 शांतिरक्षक बेनिन, साइप्रस, कांगो, हैती लेबनान, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जवानों, पुलिस इकाई गठित करने और दल के स्वामित्व वाले उपकरण के लिए नौ करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है।

भारत अब तक विभिन्न शांति अभियानों के तहत 180,000 से अधिक भारतीय सैनिक को भेज चुका है। भारत ने 82 देशों के लगभग 800 अधिकारियों को शांति स्थापना के लिए प्रशिक्षित भी किया है।

यदि भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न विवाद पर चर्चा के लिये आये। खासतौर पर कश्मीर मुद्दा के विवाद को लेकर। हालांकि पाकिस्तान द्वारा उन सैन्य पर्यवेक्षकों की बात कभी नहीं मानी गयी और नियंत्रण रेखा से लेकर शिमला समझौते तक को मानने से अनकार करता रहा है। वैसे ये दलील दिया जाता है कि सैन्य पर्यवेक्षक कश्मीर समस्या के लिए नहीं बल्कि भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के के समाधान के लिए नियुक्त किये जाते हैं। विदित हो कि वर्ष 2018-19 के लिये सैन्य पर्यवेक्षक समूह के बजट में संयुक्त राष्ट्र ने 11.39% की कमी कर दी है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस

युद्ध, गृहयुद्ध, एवं जातीय संघर्ष से प्रभावित देशों में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहादुर पुरूषों, महिलाओं के कार्य की सराहना तथा उनके सम्मान हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में एक प्रस्ताव पारित कर 29 मई का दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2018 का विषय ''संयुक्त राष्ट्र शांतिकर्मीः 70 साल की सेवा एवं बलिदान है।'' इस दिवस के आयोजन के लिए 29 मई को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1948 में सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सूपरविजन आर्गेनाइजेशन का गठन किया था और यरूशलम में इसकी तैनाती की थी।

शांति रक्षा मिशन में आने वाली चुनौतियाँ

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन अपने आप में बहुत ही पवित्र एवं पुनित कार्य है। लेकिन इनको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जिसमें कि कई देशों के सैनिकों के बीच समन्वय से लेकर उनके कार्य पद्धति, नियमों का उल्लंघन आचरणशील व्यवहार, भौगोलिक दुष्वारियाँ, और खुद की सुरक्षा आदि शामिल हैं।

वर्तमान दौर में शांति अभियानों के दौरान कई जटिल चुनौतियाँ देखने को मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सेना के आचरण को लेकर रहा। कई रिपोर्टों के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि इन शांति रक्षक दलों में शामिल सैनिको ने स्थानीय महिलाओं एवं बच्चों का यौन शोषण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 'ऑफिस फॉर इंटरनल ओवरसाइट सर्विसेज' की हालिया प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, हैती की 200 से अधिक महिलाओं ने जानकारी दी है कि भोजन, दवाइयों एवं अन्य जीवन रक्षक चीजों के लिए उन्हें शांति सैनिकों के यौन शोषक का शिकार होना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार यौन शोषण से संबंधित मामलों का एक-तिहाई हिस्सा अल्पवयस्कों से जुड़ा होता है।

'सेव द चिल्ड्रेन' नामक एक गैर सरकारी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में यह तथ्य सामने रखा कि गृहयुद्ध की समस्या से ग्रस्त देशों के बच्चों की विषम परिस्थिति का फायदा उठाकर तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर शांति सैनिक उनका शोषण करते हैं। यद्यपि कि सभी सैनिकों को ऐसे कुकर्मों का दोषी ठहराना उचित नहीं होगा क्योंकि यह कुछ सैनिकों के कृत्यों का ही नतीजा है फिर भी इस प्रकार के कार्य संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देते हैं।

इसके अलावा चूकि शांति सैनिक विभिन्न परिवेश से आते हैं इसलिए उनके बीच विवाद की संभावना बढ़ जाती है। जिस देश में वे कार्य कर रहे हैं उस देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि तथा पर्यावरण भी अलग होता है इसलिए उनकों सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आती है।

इधर हाल के वर्षो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात सैनिकों की संख्या पिछले 10 वर्ष में लगभग दोगुनी हो गई है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की प्रासंगिकता

वर्तमान में वैश्विकरण के बाद पूरे विश्व के देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध जिस तरह बदला है उसे देखते हुए शांति सैनिकों का बना रहना अति आवश्यक है। देशों के अपने अंदर उत्पन्न हो रही कई समस्याओं का समाधान वह देश नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि इन शांति सैनिकों को वहाँ भेजना पड़ता है। खास तौर पर विकासशील देशों में गृह युद्ध से लेकर, सीमा विवाद, आतंकवाद, धार्मिक उन्माद आदि जैसी कई समस्यायें हैं जो उनको अस्थिर किये रहती हैं। इन परिस्थितियों से लड़ने में शांति सेना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शांति सैनिकों के द्वारा न सिर्फ युद्ध संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है बल्कि युद्ध से इतर समस्यायें जैसे बाढ़, सूखा, बीमारियों आदि जैसी भी समस्याओं पर वे बेहतर कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में रोहिंग्या जैसे विस्थापित समूहों के सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका शांति सैनिकों ने निभाया है। युद्ध के बाद बर्बाद होती जिंदगियों तथा उनकी देखभाल संयुक्त राष्ट्र के लिए सर्वथा से चुनौतीभरा कार्य रहा है। इसी तरह की चुनौतियों की सामना करने के लिए इन सैनिक सेवाओं की आवश्यकता महसूस होती है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें महिलाओं की भी भागीदारी है। भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिये महिला पुलिस यूनिट का योगदान करने वाला एकमात्र देश था। इस मिशन में 2007 से इंडियन आर्म्ड पुलिस यूनिट की 125 महिलायें तैनात थी और उन्होंने लाइबेरियां की महिलाओं को भी पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह महिला शांति सैनिक के होने से महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान आसान हो जाएगा।

प्रतिवर्ष शांति सैनिको की बढ़ती संख्या ही यह बताने के लिए काफी है कि वर्तमान में इन सैनिकों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में किये गये कई नागरिक और सैन्य कार्य इनके सर्वोच्च उदाहरण हैं। इनमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति आदि प्रमुख हैं। सर्वाधिक सराहनीय कार्य महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा को लेकर किये गये हैं जिसकी सराहना पूरे विश्व द्वारा किया जाता है। हालांकि कई बार इनके दुर्व्यवहार की घटनायें भी सामने आई है लेकिन कुछ छिट-पुट घटनाओं से जिसकी जांच अभी भी संयुक्त राष्ट्र कर रहा है इनके अच्छे कार्यों को कम करके नहीं आका जा सकता है।

विकासशील देश विकास की अंधी दौड़ में शामिल हैं इसलिए स्वभाविक है कि इनके बीच विवाद और बढ़े जिसका समाधान संयुक्त राष्ट्र के जरिए ही हो सकता है। ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी जो कि इन देशों की समस्याओं के समाधान के लिये एक बेहतर मार्ग साबित होगें।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र को शांति सैनिकों के लिए कई आवश्यक कदम उठाने होंगे जैसे कि-बजट से संबंधित समस्या, सामंजस्य की समस्या, राजनीतिक समर्थन, पक्षपातपूर्ण नीति का त्याग, नियमों में लाचीलापन तथा व्यावहारिकता, आदि। यह सही है कि इन सैनिकों के सामने चुनौतियाँ अत्यधिक कठिन है लेकिन इसके बावजूद जितनी सफलता से इन सैनिकों द्वारा कार्य किये जाते हैं वह सराहनीय है। सैनिकों के आचरण पर उठ रहे सवाल को एक अच्छी ट्रेनिंग देकर सुधारा जा सकता है जिससे कि इनकी छवि पर कोई दाग न लगे।

इन शांति सैनिकों द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए कई प्रयास किये गये है जो इनके अस्तित्व को सही साबित करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की सफलता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों के नैतिक बाल पर निर्भर करती है और इस परिप्रेक्ष्य में शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र के आँख और कान हैं। भारत के द्वारा भी शांति सैनिकों में भागीदारी इसके विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को पुष्ट करता है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि समय के साथ इन शांति रक्षक के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन करके इनको और सशक्त बनाया जाय जिससे कि ये अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम दे सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

7. वैश्विक शांति सूचकांक और भारत

चर्चा का कारण

6 जून, 2018 को लंदन स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (IEP) द्वारा 'वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index), 2018' जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 12वां संस्करण था। वर्ष 2018 के वैश्विक शांति सूचकांक का मुख्य विषय (Theme)_ ''एक जटिल विश्व में शांति का मापन'' (Measuring Peace in a Complen World) है। वर्ष 2018 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। संपूर्ण विश्व की 99.7 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास करती है। वैश्विक शांति सूचकांक, 2018 में भारत को कुल 163 देशों की सूची में 136वां (स्कोर-2.504) स्थान प्राप्त हुआ।

पृष्ठभूमि

वैश्विक शांति सूचकांक की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया (steve killelea) द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। यह सूचकांक प्रति वर्ष 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (Institute for Economics and Peace : IEP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ब्रिटिश संस्था 'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' (Economist Intelligence Unit : EIU) भी वैश्विक शांति सूचकांक को तैयार करने में आईईपी को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

यह सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र थिंक टैंक भी है जो मानव कल्याण के शांति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। विदित हो कि वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर विश्व के देशों का शांति के स्तर पर मापन किया जाता है। इन 23 संकेतकों को जिन तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, वे हैं-

- समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और
- सैन्यीकरण। इन सूचकांको को नीचे विस्तार से निम्न बिदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

आंतरिक शांति

- समाज में अपराधिकता का स्तर।
- प्रति 100,000 लोगों पर आंतरिक सुरक्षा अधिकारी और पुलिस की संख्या।

- प्रति 100,000 लोगों पर मानववध (Homicide) की संख्या।
- प्रति 100,000 लोगों में जेल में निरूद्ध लोगों की संख्या।
- छोटे शस्त्रों और हल्के हथियारों तक सरल पहुँच।
- संगठित संघर्ष का स्तर (आंतरिक)।
- हिंसक अपराध का स्तर।
- राजनीतिक अस्थिरता।
- राजनीतिक आतंक का अनुपात।
- प्रति 100,000 लोगों पर प्राप्तकर्त्ता (आयात) के रूप में प्रमुख पारंपरिक हथियार के स्थानान्तरण की मात्रा।
- आतंकवादी गतिविधियाँ।
- संगठित संघर्ष से मौतों की संख्या (आंतरिक)

बाह्य शांति

- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सैन्य व्यय।
- प्रति 100,000 जनसंख्या पर सशस्त्र सेवा कर्मियों की संख्या।
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में वित्तीय योगदान
- परमाणु और भारी हथियार क्षमता।
- प्रति 100,000 लोगों पर आपूर्तिकर्त्ता (निर्यात) के रूप में प्रमुख पारंपरिक हथियार के स्थानान्तरण की मात्रा।
- आबादी के प्रतिशत के रूप में विस्थापित लोगों की संख्या।
- पड़ोसी देशों के साथ संबंध।
- बाह्य तथा आंतरिक संघर्षों की संख्या।
- संगठित संघर्ष (बाह्य) से मौतों की अनुमानित संख्या।

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति

आस्ट्रेलिया विचार मंच 'इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। आइसलैंड इस स्थान पर 2008 से ही बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2018 के अनुसार 1.096 स्कोर के साथ आइसलैंड को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसके पश्चात सर्वाधिक शांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार है-

- न्यूजीलैंड (स्कोर-1.192),
- ऑस्ट्रिया (स्कोर-1.274)
- पुर्तगाल (स्कोर-1.318) तथा
- डेनमार्क (स्कोर-1.353) वहीं सीरिया (स्कोर-3.6) को सबसे निचला 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। अर्थात सीरिया विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। वह इस स्थान पर पिछले पाँच वर्षो से कायम है। इसके पश्चात सर्वाधिक अशांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार है: (162) अफगानिस्तान (स्कोर-3.585), (161) दक्षिण सूडान (सकोर-3.508), (160) इराक (स्कोर-3.425), (159) सोमालिया (स्कोर-3.367)। जहा तक भारत का प्रश्न है तो भारत की स्थिति में चार पायदान का सुधार हुआ है और उसकी समग्र रैंकिंग 137 वे स्थान से अब 136 हो गई है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 19वें, श्रीलंका 67वें, नेपाल 84वें तथा पाकिस्तान 151वे स्थान पर रहा। 2016 में इसी सूचकांक में भारत 141 वें पायदान पर था। सुधार की स्थिति इस दौरान हिंसक अपराध के स्तर में कमी के चलते आई है, इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक्स एंड पीस ने कहा, ''यह मोटे तौर पर कानून प्रवर्तन बढ़ने से हिंसक अपराध के स्तर में कमी आने के चलते हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बीच कश्मीर में 2016 के मध्य में अशांति बढ़ने से भारत और उसके पड़ोसी पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, बाहरी संघर्ष से दोनों देशों में मृतकों की संख्या बढ़ गई है दूसरी तरफ भारत उन देशों में भी खड़ा है, जिन्होंने मौतों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी देखी है। ये श्रीलंका, चाड, कोलंबिया और वैश्विक शांति सूचकांक की रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि वैश्विक स्तर पर गत वर्ष से शांति में 0.27% प्रतिशत की गिरावट आई है, जहाँ एक वर्ष के दौरान 71

देशों के शांति के स्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, वही 92 देशों के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है।

वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट के विश्व संदर्भ में मायने

वैश्विक शांति सभी देशों और लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता, शांति और खुशी का आदर्श है। वैश्विक शांति सूचकांक शांति का मापने का एक पैमाना है। यह सूचकांक प्रति वर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट का देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। दरअसल इस रिपोर्ट में जिन सूचकांकों को लिया जाता है उससे उस देश की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का आभास होता है। यह पैमाना विश्व को उन देशों के प्रति व्यापरिक, राजनीतिक व अन्य महत्वपूर्ण मामलों में आश्वस्त करने के साथ जोखिम को भी सूचित करेगा।

इस सूचकांक में सुधार, देश की अच्छी स्थिति व गिरावट, बुरी स्थिति को प्रकट करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापार काफी हद तक इस सूचकांक से प्रभावित होता हैं। व्यापारिक वर्ग सामान्यतः अपना व्यापार उन देशों से करने को इच्छुक होते है, जहाँ हिंसक अपराध, राजनीतिक अस्थिरता, आंतकवादी संघर्षों की घटनाएँ कम हों, ऐसे में यह सूचकांक इन व्यापारिक वर्गों, देशों, राजनीतिज्ञों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। विश्व अशांति का पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका एक अच्छा उदाहरण विश्व शांति सूचकांक कि 2017 रिपोर्ट में देखा जा सकता है रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में चल रहे युद्धों और संघर्षों पर पिछले 12 महीनों में आठ ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का खर्च हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस हिंसा में यदि 25 फीसदी कटौती हो जाए तो ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड के सारे कर्जे भरे जा सकते हैं। इसके अलावा हिंसा में एक चौथाई कमी से मौसम परिवर्तन के प्रभावों और संयुक्त राष्ट्र के 'मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स' के लिए धन मुहैया हो जाएगा। वहीं इतने खर्चे के बाद भी एक ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर की राशि बच जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशांति मानव सभ्यता के लिए न केवल राजनीतिक व सामाजिक रूप से घातक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते है। यह कथन भारत पर भी सही साबित होते है। दरअसल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2017 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में हिंसा के कारण पिछले साल 1,190 अरब डॉलर यानी 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। यह नुकसान प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 595.40 डॉलर यानी 40 हजार रुपये से अधिक है। इस दौरान हिंसा से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीपीपी आधार पर 14,760 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह वैश्विक जीडीपी का 12.4 प्रतिशत है जो प्रति व्यक्ति 1988 डॉलर होता है। आकलन में हिंसा के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों समेत आर्थिक गुणात्मक प्रभाव को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, गुणात्मक प्रभाव उन अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का भी आकलन करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष प्रभाव को टाल दिए जाने की सूरत में हो सकते थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंसान को नियमित तौर पर घर, काम, दोस्तों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच यह संघर्ष और आर्थिक व्यवस्थित तरीके से होता है। लेकिन, इनमें से अधिकांश संघर्ष हिंसा में नहीं बदलते।

वहीं दूसरी तरफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र कुछ गिरावट के बाद भी विश्व का सबसे शांत क्षेत्र बना हुआ है। इस दौरान बाह्य एवं आंतरिक दोनों संघर्षों तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ लेकिन हिंसक अपराध, आतंकवाद के प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक आतंकवाद ने क्षेत्र में स्थिति को बिगाड़ा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो सबसे खराब देश बने हुए हैं जिससे इनकी स्थिति और खराब हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा खर्च में वृद्धि के कारण हिंसा का वैश्विक आर्थिक प्रभाव 2016 की तुलना में 2017 में 2.1 प्रतिशत बढ़ा है। हिंसा से हुए नुकसान के मामले में सबसे बेहतर स्थिति स्विट्जरलैंड की रही है। इसके बाद इंडोनेशिया और बुर्किना फासो का स्थान है।

उभरते हुए बाजारों में चीन की अर्थव्यवस्था का पीपीपी के मामले में हिंसा से करीब 1704 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो वहीं ब्राजील की अर्थव्यवस्था को लगभग 510 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। रूस को करीब 1,000 अरब डॉलर और दक्षिण अफ्रीका को 240 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। विकसित देशों के बीच, अमेरिका को 2670 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा जो कि जीडीपी का 8 प्रतिशत था। वहीं, ब्रिटने को करीब 312 अरब डॉलर यानि कि जीडीपी का 7 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा।

आगे की राह

वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की उपलब्धि पिछले वर्ष के मुकाबले सराहनीय है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत को अभी व्यापक कदम उठाने की जरूरत है चूँकि यह सूचकांक भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान कर उसको आर्थिक, राजनीतिक व अन्य रूपों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नई पहचान प्रदान कर सकती है। यह पहचान भारत को एक महाशक्ति बनने में व यहाँ के लोगों को एक उच्च जीवन-शैली जीने में काफी कारगर हो सकती है इसका अंदाजा हाल ही के वर्षों में भारत में बढ़ते निवेश व उद्यमशीलता को लेकर आयी रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें भारत की स्थिति को व्यापार, निवेश जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित बताया गया।

ऐसे में भारत के लिए चुनौति और भी बढ़ गयी है, कि वह इस दावे को सही साबित करें। इस दिशा में हाल ही में सरकार ने कई कदम उठाये हैं। बावजूद इसके सफलता आंशिक रही है। ऐसे में सरकार को सशक्त कदम उठाते हुए निम्न क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए।

- समाज में आपराधिक स्तर में कमी को लेकर प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर कार्य किया जाए।
- आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए व इससे सख्त तरीके से निपटा जाए।
- जीडीपी के प्रतिशत रूप में सैन्य व्यय में कमी की जाए ताकि अहिंसक राष्ट्र के रूप में भारत की छवी उभर सके।
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में वित्तीय योगदान बढ़ाया जाए।
- पड़ोसी देशों के साथ संघर्षो का शांतिपूर्ण समाधान व मित्रतापूर्ण संबंध बनाने पर बल दिया जाए।
- बाह्य और आंतरिक संघर्षो को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंक का दर्जा

प्र. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है। लघु वित्तीय बैंक की विशेषताओं को दर्शाते हुए वित्तीय समावेशन में इसके योगदान की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- लघु वित्तीय बैंक
- शहरी सहकारी बैंक
- लघु बैंकों की विशेषताएँ
- वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति
- लाभ
- सीमायें
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक (एस.एफ.बी.) के व्यवसाय को जारी रखने के लिए लाइसेंस जारी किया है।

लघु वित्तीय बैंक

- लघु वित्तीय बैंक आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से और उससे संबंधित आवश्यकताओं पर केंद्रित बैंक होते हैं।
- इस बैंक के गठन का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं अन्य संगठित क्षेत्रों की संस्थाओं आदि को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है।

शहरी सहकारी बैंक

- प्राथमिक सहकारी बैंक जो शहरी सहकारी बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं शहरी और नगरी क्षेत्रों के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

लघु वित्तीय बैंकों की विशेषताएँ

- इनकी न्यूनतम भुगतानगत पूंजी लगभग 100 करोड़ के आस-पास है।
- लघु वित्त बैंक पेंशन, म्यूचुअल फंड व बीमा आदि की बिक्री कर सकने में सक्षम हैं।

वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

- आजादी के 70 सालों के बाद भी देश की आबादी का बड़ा तबका अपनी वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए साहूकारों पर निर्भर है। सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग आज भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने से वंचित है।

लाभ

- छोटे बैंकों से सबसे अधिक फायदा छोटे कारोबारियों, छोटे किसानों, कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को हुआ है।

सीमायें

- ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते। ये गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिये सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते।

आगे की राह

- वित्तीय-समावेशन को अमली जामा पहनाने और लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनके परिचालन से रोजगार सृजन, समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन आदि को दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। ■

इब्सा (IBSA) की वर्तमान में प्रासंगिकता

प्र. “हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेशमंत्रियों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा की” इस संदर्भ में वर्तमान में इब्सा (IBSA) की प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चार्च का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है दक्षिण-दक्षिण सहयोग?
- इब्सा घोषणा-2018

- इब्सा की वर्तमान प्रासंगिकता
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक बैठक के दौरान दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर चर्चा की।
- मंत्रियों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आईबीएसए घोषणा पत्र को स्वीकृति दी उसे संयुक्त रूप से जारी किया।

पृष्ठभूमि

- दुनिया की करीब 40 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व और वैश्विक जीडीपी में करीब 30 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला इब्सा एक मजबूत गुट और वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है।
- ये तीनों ही देश विकासशील, बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषायी एवं बहुधार्मिक राष्ट्र है।

क्या है दक्षिण-दक्षिण सहयोग?

- विकासशील देशों को दक्षिण-दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण-दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है।

इब्सा घोषणा-2018

- इब्सा घोषणा में कहा गया कि पिछले तीन साल से अधिक समय में इब्सा एक ऐसे समूह के रूप में उभरा है जो विकासशील देशों के कल्याण और विकासात्मक चिंताओं का समर्थन कर रहा है।
- मंत्रियों ने समूह की 15वीं वर्षगांठ मनाने के वास्ते 2018-19 के लिए प्रस्तावित आयोजनों पर भी चर्चा की।

इब्सा की वर्तमान प्रासंगिकता

- विदित हो कि इब्सा के सदस्यों में से ब्राजील जहाँ मर्कोसुर का सदस्य हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका साकू का सदस्य है। ऐसे में भारत के लिए इस त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए इब्सा कोष को एआईआईबी, एडीबी, ब्रिक्स बैंक आदि बैंकों की तरह बैंक का रूप दिया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- श्रीमती सुषमा स्वराज ने मजबूती के साथ स्पष्ट रूप से सुरक्षा संबंधी रणनीतिक क्षेत्रों में अंतः ब्रिक्स सहयोग, आतंकवाद का विरोध, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की पहचान करने वाली प्राथमिकताओं का उल्लेख किया।

आगे की राह

- आईबीएसए और ब्रिक्स केवल बातचीत के मंच नहीं हैं, बल्कि ये विभिन्न देशों, सांस्कृतिक सभ्यताओं, विचारों को लेकर एकसाथ बढ़ने का मंच हैं।
- यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में ब्रिक्स सुरक्षा फोरम स्थापित करने पर बनी सहमति पूरी तरह क्रियान्वित हो। ■

ग्रीन जीडीपीः अर्थव्यवस्था का पर्यावरणीय आकलन

प्र. "हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के ग्रीन जीडीपी का जिला स्तरीय मापन करने का निर्णय लिया है" इस कथन के संदर्भ में सरकार का यह प्रयास पर्यावण प्रदूषण नियंत्रण कि दिशा में कितना कारगर साबित होगा मूल्यांकन कीजिए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है ग्रीन जीडीपी
- पृष्ठभूमि
- ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्यों?
- सरकारी पहल
- चुनौतियाँ
- आगे की राह
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने देश की पर्यावरणीय संपदा के जिला स्तरीय आंकड़ों की गणना करने का निर्णय लिया है।
- इन आँकड़ों का उपयोग मुख्य रूप से ग्रीन जीडीपी की गणना के लिए किया जाएगा।

क्या है ग्रीन जीडीपी?

- ग्रीन जीडीपी से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कार्बन-उत्सर्जन और प्रदूषण कम से कम हो साथ ही ऊर्जा संसाधनों की प्रभावोत्पादकता बढ़े तथा जैवविविधता और पर्यावरण प्रणाली की सेवाओं का नुकसान कम हो।

पृष्ठभूमि

- विश्व में चीन ऐसा पहला देश है जिसने 2004 में पहली बार अपने सकल घरेलू उत्पाद में हरित जीडीपी का फॉर्मूला और पैमाना पेश किया।
- भारत में पर्यावरण लेखांकन की शुरूआत 1990 के दशक में आरंभ हुई जब भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी (एफडीईएस) के लिए एक ढांचा विकसित किया गया था।

ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता क्यों?

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वर्ष पहले भारत को वायु प्रदूषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% अर्थात 550 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था।
- एक शताब्दी के भीतर यदि इन प्रवृत्तियों को जारी रखा जाता है तो देश के खाद्य उत्पादन में 10%-40% की कमी देखी जा सकती है।

सरकारी पहल

- वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह एक 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' प्रकाशित करेगा, जिसमें देश के जंगलों, घास के मैदानों तथा प्राकृतिक संपदा को क्षति पहुँचाने की पर्यावरणीय लागत शामिल होगी।

चुनौतियाँ

- पर्यावरण पूँजी पर सूक्ष्म स्तर का डेटा उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, भौम जल स्तर की कुल मात्रा या विभिन्न क्षेत्रों जहाँ पानी का उपयोग अधिक किया जाता है। जैसे मुद्दों पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

- भारत को जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने की जरूरत है। साथ ही इससे होने वाले प्रदूषण को जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- लगातार बढ़ती आबादी, औद्योगिक क्रांति का बढ़ता दबाव और बढ़ते प्रदूषण के चलते जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उससे विश्व पर सतत और हरित विकास की ओर बढ़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ■

भारत में मातृ मृत्युः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की मातृ मृत्यु दर पर जारी रिपोर्ट की चर्चा करते हुए मातृ मृत्यु दर के कारणों एवं उसके समाधान के उपाय बतलायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु
- पृष्ठभूमि
- नमूना पंजीकरण प्रणाली
- सरकारी पहल
- मातृ मृत्यु का कारण
- समाधान

चर्चा का कारण

- भारत में वर्ष 2013 से मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में रिकार्ड 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है।
- एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-13 मातृ मृत्यु दर जहाँ 167 था वहीं वो वर्ष 2014-16 में घटकर 130 हो गया।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- मातृ मृत्यु दर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों में यह 93 से घटकर 77 और अन्य राज्यों में 115 से घटकर 93 रह गई है।
- इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 2013 की तुलना में अब हर दिन 30 से अधिक गर्भवती महिलाओं को बचाया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत में हर 10 मिनट में गर्भावस्था से जुड़े किसी कारण से एक महिला की मौत हो जाती है।
- गर्भवती महिलाओं में से 15 प्रतिशत के मामले में किसी न किसी प्रकार की चिकत्सकीय जटिलता उभरने की संभावना रहती है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

- भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) देश और प्रमुख राज्यों के लिए मृत्यु दर के प्रत्येक आकलन प्रदान करने का एकमात्र स्रोत है।

सरकारी पहल

- भारत में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों को चला रही है।
- जननी सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के एनीमिया के रोकथाम के लिए भी पहल की है।

मातृ मृत्यु के कारण

- भारत में मातृ मृत्यु के कारणों में चिकित्सकीय के अलावा विभिन्न सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक भी जिम्मेदार है।
- गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, भ्रष्टाचार अशिक्षा आदि प्रमुख कारण हैं।

समाधान

- मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए जहाँ सरकार द्वारा की जा रही पहल को पूरी तरह जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए वहीं गरीबी, कुपोषण एवं अशिक्षा को गिराकर ही इसका उचित समाधान किया जा सकता है। ■

सत्याग्रह के 125 वर्ष और वर्तमान प्रासंगिकता

प्र. 7 जून 2018 को सत्याग्रह आंदोलन का 125वाँ वर्ष मनाया गया। वर्तमान में विश्वभर में जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक और रजानीतिक असमानताएँ बढ़ती जा रही हैं इसके परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का सत्याग्रह कितना प्रासंगिक है? सविस्तार चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सत्याग्रह से अभिप्राय
- पृष्ठभूमि
- सत्याग्रह आंदोलन के उदाहरण
- सत्याग्रह आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में 7 जून 2018 को सत्याग्रह आंदोलन का 125वाँ वर्ष मनाया गया।
- 7 जून 1893 को ही दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करम चंद्र गांधी को पीटरमैरिट्रजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था।

सत्याग्रह से अभिप्राय

- सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति समर्पण या सत्य की शक्ति है।
- सत्याग्रह केवल सविनय अवज्ञा ही नहीं है इसकी पूर्ण कार्य-पद्धतियों में उचित दैनिक जीवन निर्वाह से लेकर वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों का निर्माण तक आ जाता है।

पृष्ठभूमि

- गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किये जाने के खिलाफ 1906 ई. में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया।
- भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ई. में नील की खेती वाले चम्पारण जिले में हुआ।

सत्याग्रह आंदोलन के उदाहरण

- चंपारण सत्याग्रह
- खेड़ा सत्याग्रह
- बारदोली सत्याग्रह

सत्याग्रह आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता

- पारिस्थितिकी क्षरण, जलवायु बदलाव, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं का समाधान सरकार के विरूद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन सत्याग्रह की प्रासंगिकता को बताते हैं।
- नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद जैसी हिंसक घटनाओं में सत्याग्रह का प्रयोग सफल होगा इस पर संदेह है।

निष्कर्ष

- सत्याग्रह की प्रासंगिकता जब तक मानव समाज मौजूद हैं तब तक बनी रहेगी। मानवाधिकार, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अशांति और राजनीतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार से संबंधित कई समकालीन चुनौतियों का सामना गांधीवादी मार्ग को अपनाने से किया जा सकता है। जिसमें कि सत्याग्रह सबसे कारगर मार्ग है। ■

विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकः एक मूल्यांकन

प्र. हाल ही में 29 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने अपने गठन के 70वाँ वर्षगाठ मनाया। विश्व में शांति की स्थापना में शांति सैनिकों द्वारा किये गये कार्य तथा उनमें भारत की भूमिका पर सविस्तार चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक का परिचय
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- चुनौतियाँ
- प्रासंगिकता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 29 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने अपने स्थापना के 70 वाँ वर्षगाठ मनाया।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस शांति सेना में सैन्य योगदान के नजरिये से विश्व के सभी देशों में भारत तीसरे स्थान पर है।

परिचय

- संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिये सामूहिक कार्य की जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान करता है। इसी जिम्मेदारी के तहत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन किया गया।
- शांति सेना का गठन 128 देशों के द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किये गये सैनिकों के द्वारा किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक की स्थापना 1948 में किया गया था और इसने पहले ही मिशन, 1948 में हुए अरब-इजराइल युद्ध के दौरान युद्धविराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सेनाओं की मदद से एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में अलग-अलग परिस्थितियों में गठित की जाती है।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाये जा रहे हैं।
- भारत अब तक विभिन्न शांति अभियानों के तहत 180,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भेज चुका है।
- भारत ने 82 देशों के लगभग 800 शांति स्थापना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है।
- इस समय भारत के 6693 शांति रक्षक बेनिन साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में तैनात हैं।

चुनौतियाँ

- सैनिकों के बीच समन्वय की भावना, कार्य पद्धति नियमों का उल्लंघन, आचरणशील व्यवहार, भौगोलिक दुष्वारियाँ और खुद की सुरक्षा ये संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ हैं।
- सबसे अधिक चुनौती शांति सेना द्वारा किये गये व्यवहार को लेकर है जो विवाद का मुद्दा है।
- शांति सेनाओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए उनके लिए आवश्यक सामग्री को पूरा करना भी एक चुनौती है।

प्रासंगिकता

- वर्तमान में वैश्वीकरण के बाद पूरे विश्व के देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध जिस तरह बदला है उसे देखते हुए शांति सैनिकों का बना रहना अति आवश्यक है।
- विकासशील देशों में गृह युद्ध, सीमा विवाद आतंकवाद, धार्मिक उन्माद आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शांति सेना का वखूबी प्रयोग किया जा रहा है।
- शांति सैनिकों द्वारा युद्ध संबंधी विवादों के अलावा बाढ़, सूखा, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों आदि जैसी समस्याओं को हल करने में भी इनका सहयोग सराहनीय रहा है।

- संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों में महिलाओं की भागीदारी इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा देता है।
- शांति सैनिकों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए किया गया कार्य उनके महत्व को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की सफलता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों के नैतिक बल पर निर्भर करती है। इस परिप्रेक्ष्य में शांति सैनिकों द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। भारत जो कि शांति का सर्वथा पक्षधर है, शांति सेनाओं में अपने सैनिकों के द्वारा हर समय मदद करता है। यह सही है कि शांति सैनिकों के ऊपर कई सवाल खड़े हुए है फिर भी इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों से इनके महत्व को आंका जाना चाहिए। विश्व में शांति स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो इनकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। ■

वैश्विक शांति सूचकांक और भारत

प्र. वैश्विक शांति सूचकांक से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न सूचकांकों का जिक्र करते हुए भारत के संदर्भ में इसके मायने बताइए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा के कारण
- पृष्ठभूमि
- विभिन्न सूचकांक
- भारत के संदर्भ में इसके मायने
- आगे की राह

चर्चा में क्यों

लंदन स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (IEP) द्वारा 6 जून, 2018 को 'वैश्विक शांति सूचकांक' (Global Peace index 2018) जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 12वां संस्करण था। वैश्विक शांति सूचकांक, 2018 में भारत को कुल 163 देशों की सूची में 136वां (स्कोर-2.504) स्थान प्राप्त हुआ वर्ष 2018 के वैश्विक शांति सूचकांक का मुख्य विषय (Theme)-''एक जटिल विश्व में शांति का मापन'' (Measuring Peace in a Complex World) है।

पृष्ठभूमि

वैश्विक शांति सूचकांक की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी सटीव किल्लोलिया (steve Killelea) द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। यह सूचकांक प्रति वर्ष 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (Institute for Econocmics and Peace IEP) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ब्रिटिश संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit. EIU) भी वैश्विक शांति सूचकांक को तैयार करने में आईईपी को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

विभिन्न सूचकांक

वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक एंव मंत्रात्मक संकेतकों के आधार पर विश्व के देशों का शांति के स्तर पर मापन किया जाता है। इन 23 संकेतकों को जिन तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, वे हैं-

- समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और
- सैन्यीकरण। इन सूचकांकों को नीचे विस्तार से निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है।

भारत के संदर्भ में इसके मायने

- भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व स्थायित्व प्रदान कर अन्य देशों में भारत की नकारात्मक छवी को समाप्त करता है जो भारत को वर्तमान वैश्वीकरण युग में फायदा पहुँचा सकता हैं।
- भारत के लोगों की शांत व अच्छी छवी बनाकर विश्व स्तर पर भारत के लोगों के आवागमन को सहज बनाता है।
- राजनैतिक रूप से भारत को स्थिरता विश्व को भारत के प्रति सम्मानजनक रूप प्रदान करती है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में वित्तीय योगदान बढ़ाया जाए।
- पड़ोसी देशों के साथ संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान व मित्रतापूर्ण संबंध बनाने पर बल दिया जाए।
- बाह्य और आंतरिक संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा जाए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए पैनल गठित किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 12 जून 2018 को एक पैनल का गठन किया। इसका उद्देश्य संस्थागत व्यापार प्लेटफार्म (आईटीपी) की समीक्षा करना है ताकि स्टार्टअप कम्पनियों के लिए स्टॉक मार्केट लिस्टिंग रुचिकर हो सके।

यह पैनल सेबी को एक महीने के भीतर अर्थात् जुलाई 2018 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

पैनल का कार्य

- यह पैनल मौजूदा संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म (आईटीपी) फ्रेमवर्क पर ध्यान देगा तथा स्टार्टअप कम्पनियों को शेयर बाजार सूची के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
- वर्तमान आईटीपी फ्रेमवर्क का अध्ययन करके उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां बदलाव की आवश्यकता है।
- आईटीपी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए यह समूह मूल्यांकन कर सकता है।

पैनल के सदस्य

इस पैनल के सदस्यों में निम्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगेः

- इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल
- द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TIE)
- इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA)
- लॉ फर्म
- मर्चेंट बैंकर
- शेयर बाजार

पृष्ठभूमि

सेबी ने 2015 में नये युग की कंपनियों को आईटीपी फ्रेमवर्क ई-कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी और नये युग की अन्य स्टार्टअप कम्पनियों की सूची को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी ने 2015 में आईटीपी ढांचा आरंभ किया था। हालांकि यह फ्रेमवर्क ढांचे में किसी प्रकार की मजबूती लाने में विफल रहा। ■

2. केंद्र सरकार ने 'कृषि कल्याण अभियान' आरंभ किया

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने 12 जून 2018 को अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना के लिए 3,000 अतिरिक्त स्कूलों का चयन किया है। इसके साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी।

उद्देश्य

भारत के प्रत्येक जिले में एटीएल की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य नवाचार परितंत्र को स्थापित करना है। इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।

मुख्य तथ्य

- चयनित स्कूलों को देश भर में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए अगले पांच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- ये 3,000 अतिरिक्त स्कूल एटीएल कार्यक्रम की पहुंच को काफी हद तक बढ़ा देंगे जिससे और ज्यादा संख्या में बच्चे टिंकरिंग एवं नवाचार से अवगत हो सकेंगे।
- भारत के युवा अन्वेषकों की पहुंच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और माइक्रोप्रोसेसर तक सुनिश्चित हो जाएगी।
- इन अतिरिक्ता एटीएल स्कूलों से वर्ष 2020 तक 10 लाख से भी ज्यादा आधुनिक बाल अन्वेषकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)

- अटल टिंकरिंग लैब का लक्ष्य कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों में लैब की स्थापना करना हैं।
- ये एटीएल इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिए नवाचार हब (केन्द्र) के रूप में कार्य करेंगी जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में आसानी होगी जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है।
- नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत एटीएल पहल द्वारा सृजित उस सहयोगात्मक परितंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक और औद्योगिक भागीदार नवाचार को बढ़ावा देंगे और आज के उन बच्चों में वैज्ञानिक समझ एवं उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय योगदान करेंगे।

- इन नव चयनित स्कूलों से उन सभी औपचारिकताओं के संबंध में शीघ्र ही संपर्क स्थापित किया जाएगा जो उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने-अपने परिसरों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए पूरी करनी हैं।
- जिन जिलों में गांवों की संख्या 25 से कम है, वहां के सभी गांवों को (1000 से अधिक आबादी वाले) इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

कृषि कल्याण अभियान की गतिविधियां

- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का सभी किसानों में वितरण।
- प्रत्येक गांव में जानवरों के खुर और मुंह रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण।
- भेड़ और बकरियों में बीमारी से बचाव के लिए सौ फीसदी कवरेज।
- सभी किसानों के बीच दालों और तिलहन की मिनी किट का वितरण।
- प्रति परिवार पांच बागवानी/कृषि वानिकी/बांस के पौधों का वितरण।
- प्रत्येक गांव में 100 एनएडीएपी पिट बनाना।
- कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
- सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।
- बहु-फसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन। ■

3. ऑपरेशन निस्तार द्वारा 38 भारतीय को सकुशल बचाया गया

भारतीय नौसेना ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर फंसे 38 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। दस दिन पहले इस इलाके में आये चक्रवात के कारण यह लोग इस क्षेत्र में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए भारत ने यह अभियान आरंभ किया था।

'ऑपरेशन निस्तार' के तहत भारतीयों को बाहर निकाला गया। यह ऑपरेशन सोकोट्रा तट पर चलाया गया और उन्हें वापस भारत लाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुनयना को भेजा गया।

ऑपरेशन निस्तार के स्मरणीय तथ्य

- भयानक चक्रवाती तूफान मेकेनु में यमन के सोकोट्रा द्वीप पर 38 भारतीय सीमित भोजन और पानी के साथ फंसे हुए थे।
- नौसेना को यह जानकारी मिली थी कि तीन भारतीय जहाज इलाके में चक्रवात के टकराने के बाद सोकोट्रा में क्षतिग्रस्त होकर बंदरगाह के समीप डूब गए हैं।

- नौसेना को जब 12 भारतीयों के लापता होने के साथ अन्य जहाज एमएसवी सफीना अल खिजर के बारे में सूचना मिली तो भारतीय नौसेना ने 27 और 28 मई को लापता भारतीयों की तलाश के लिए दो हवाई अभियान भी चलाए थे।
- आईएनएस सुनयना को सोकोट्रा से 38 भारतीय नागरिकों को निकालने का दायित्व सौंपा गया।
- निकाले गए भारतीयों को तुरंत चिकित्सा देखभाल, खाना, पानी और टेलीफोन सुविधा मुहैया कराई गई, ताकि वे अपने परिवार को बता सकें कि वे सुरक्षित हैं।
- बचाव कार्य के बाद जहाज गुजरात के पोरबंदर की ओर रवाना हो गया।

चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं?

हिन्द महासगर क्षेत्र में यह व्यवस्था वर्ष 2004 में शुरू हुई जब भारत की पहल पर 8 तटीय देशों ने इसको लेकर समझौता किया। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यामांर, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया गया है और उसी क्रम के अनुसार हर देश अपनी बारी आने पर नाम सुझाता है। अब तक चक्रवात के करीब 64 नामों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। ■

4. असम अंधविश्वास के खिलाफ जागरुकता अभियान आरंभ करेगा

असम सरकार ने सभी विकास मंडलों एवं पंचायत स्तर पर अंधविश्वास के खिलाफ 'संस्कार' नाम से अभियान आरंभ करने की योजना तैयार की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में 11 जून 2018 को एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि असम को उसके विशिष्ट सत्कार के लिए पूरे भारत में पहचाना जाता है और देशभर से आने वाले लोग राज्य में जहां भी जाएं तो उन्हें मैत्रीपूण र्ण माहौल मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि बच्चा चुराने के संदेह में दो युवकों की कार्बी आंगलोंग जिले में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मारे गये युवकों के माता-पिता ने राज्य में जागरूकता पैदा करने की जरूरत की वकालत की थी ताकि समाज में फिर ऐसी घटनाएं ना हो पाए। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की भी इच्छा जताई।

कार्यक्रम का प्रारूप

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, असम विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (एएसटीईसी) नोडल एजेंसी होगी और इस कार्यक्रम में सभी पुलिस उपायुक्त, अधीक्षक और किसी जिले में सभी संबंधित सरकारी विभाग शामिल होंगे। अंधविश्वास के खिलाफ लगातार लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता बीरूबाला राभा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ■

5. दिल्ली में बनेगा भारत का पहला पुलिस संग्रहालय

भारत में जल्द ही पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय बनने वाला है। केंद्र सरकार ने लुटियन दिल्ली में इसे स्थापित करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक परिसर में भूमिगत संग्रहालय का निर्माण होगा। इस संग्रहालय में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों का इतिहास जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उनसे जुड़ी कलाकृति, वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।

संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री राजनाथ सिंह 21 अक्तूबर (पुलिस स्मृति दिवस) को इसका शुभारंभ करेंगे। खुफिया ब्यूरो

इस परियोजना के लिए मागदर्शन कर रहा है और रिकार्ड के मुताबिक आईबी के निदेशक राजीव जैन ने प्रक्रिया में तेजी के लिए पिछले महीने बैठक बुलायी थी। पीटीआई ने इन रिकार्डों को देखा है।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''कुछ राज्य पुलिस बलों और अर्द्धसैन्य बलों के अपने छोटे संग्रहालय हैं लेकिन यह पहली बार है जब देश में पुलिस विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की स्थायी दीर्घा होगी। पुलिस विषय पर शोधकर्ताओं को जानकारी के लिए भी इससे मदद मिलेगी।''

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएसपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठन और राज्य पुलिस बलों से अपने ऐतिहासिक दस्तावेज, सामग्री, पुलिस संबंधी गजट अधिसूचना और अनूठे हथियार और वर्दी को संग्रहित करने को कहा गया है ताकि इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सके। ■

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में संशोधन को मंजूरी

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड् सब्सिडी स्कीलम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के योग्य, माने जाने वाले मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सब्सिडी के योग्य माने जाने वाले मकानों के संदर्भ में एमआईजी-। के लिए कारपेट एरिया को '120 वर्ग मीटर तक' से बढ़ाकर '160 वर्ग मीटर तक' और एमआईजी-॥ के लिए कारपेट एरिया को '150 वर्ग मीटर तक' से बढ़ाकर '200 वर्ग मीटर तक' कर दिया गया है।

मुख्य तथ्य

- इस फैसले से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी-। श्रेणी के ख़रीदारों को 2.35 लाख रुपये और एमआईजी-॥ श्रेणी के घर ख़रीदारों को 2.30 लाख रुपये का सब्सिडी में सीधा लाभ मिलता है।
- क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी-। श्रेणी के आवास ख़रीदारों की वार्षिक आय 6 से 12 लाख रुपये और एमआईजी-॥ श्रेणी के लिये 12 से 18 लाख रुपये होने का प्रावधान है।
- इस आय वर्ग के ख़रीदारों को एमआईजी1 के तहत 20 साल की अवधि के लिये 9 लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में 4 प्रतिशत और एमआईजी-॥ के तहत 12 लाख रुपये के मंजूर आवास ऋण पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है।
- मंत्रालय ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इस योजना के लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2017 से प्रभावी मानी है। पीएमएवाई योजना के तहत इससे पहले आवास ऋण ले चुके लोगों को भी सब्सिडी का लाभ मिल सके।

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

इस योजना की अवधि 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गयी थी। योजना के अंतर्गत 11 जून 2018 तक सरकार द्वारा एमआईजी श्रेणी के आवास ऋण पर 35204 लाभार्थियों को 736.79 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किये जा चुके हैं। ■

7. 4 सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाने की है तैयारी

देश के चार बड़े सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने सरकारी बैंकों के एकीकरण को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ छोटे बैंकों को मर्ज किया जा सकता है। अंग्रेजी बिजनेस न्यूज पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, IDBI बैंक और देना बैंक के विलय को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है। इसको लेकर बैंकों में चर्चा शुरू हो चुकी है। पिछले साल मोदी सरकार ने SBI के सहयोगी बैंकों और महिला बैंक का SBI में विलय कर दिया गया है।

आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ साल पहले की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय में एक शक्तिशाली वर्ग द्वारा अनिच्छा जाहिर किए जाने के बाद इस विचार को छोड़ दिया गया। इसी तरह, बैंकों ने आरबीआई प्रोविजनिंग नॉर्म्स की वजह से बुरे कर्ज में वृद्धि की बात कही तो एकीकरण प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब संकट दूर होने की कुछ उम्मीदों और पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म की आवश्यकता की वजह से वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर एकीकरण की फाइल खोल दी है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. मॉरीशस करेगा 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी

18-20 अगस्त, 2018 से मॉरीशस अपने राजधानी शहर पोर्ट लोइस में 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन (WHC) की मेजबानी करेगा। यह मॉरीशस सरकार के सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय "वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कार" रहेगा।

मुख्य तथ्य

इस सम्मेलन का लक्ष्य भाषा के योगदान हेतु दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई हिंदी विद्वानों, लेखकों और विजेताओं को एक मंच प्रदान करना है। इसका स्थान स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, पाइल्स मॉरीशस होगा। सम्मेलन में हिंदी के शास्त्रीय और आधुनिक दोनों ही तत्व शामिल होंगे और दुनिया भर से हिंदी के सहभागिता प्रतिनिधियों और विद्वानों को देखा जा सकेगा।

विश्व हिंदी सम्मेलन

दुनिया भर में हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हर तीन साल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका पहला सम्मेलन नागपुर, महाराष्ट्र में 10-12 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने किया था। तब से, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसके दस सम्मेलन आयोजित किए जा चुके है। पहले सम्मेलन में, तत्कालीन मॉरीशस के प्रधानमंत्री सेवुसागुर रामगुलाम मुख्य अतिथि थे और इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले सम्मेलन को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का 10 वां संस्करण भोपाल, मध्य प्रदेश (भारत) में 2015 में "हिंदी जगत-विस्तर और संभावनायें" के विषय के साथ आयोजित किया गया था। ■

2. अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2018 मनाया गया

विश्व भर में 12 जून 2018 को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य बाल श्रम के विरुद्ध लोगों में जागरुकता फैलाना है।

विषयः सुरक्षित और स्वस्थ पीढ़ी

- इस वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल दिवस दोनों एक साथ मनाये जा रहे हैं। इससे लोगों को सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों की जागरुकता फैलाई जा सकेगी ताकि कामकाजी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे तथा बाल श्रम समाप्त हो सके।
- इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 8.8 के अनुसार 2030 सभी को सुरक्षित कामकाजी स्थल उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य 8.7 के अनुसार 2025 तक किसी भी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त किया जायेगा।
- एक बार इन लक्ष्यों की प्राप्त होने पर इनका लाभ अगली पीढ़ी को मिल सकेगा तथा उनमें भी कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं बालश्रम के विरोध में भावना को बल मिलेगा।

तथ्य एवं आंकड़े

- विश्व भर में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 541 मिलियन कामगार मौजूद हैं। यह विश्व के कुल श्रमिक क्षमता का 15 प्रतिशत है। इन श्रमिकों को अन्य श्रमिकों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक घातक व्यावसायिक चोटें लगती हैं।

- 73 मिलियन से अधिक बच्चे खतरनाक कामों में हैं और 5 से 17 वर्ष के 152 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बाल श्रम में हैं।
- ये बच्चे खदानों और खेतों, कारखानों और घरों, कीटनाशकों और अन्य जहरीले पदार्थो से भरे माहौल में काम करते हैं, वे भारी वजन उठाते हैं एवं प्रतिदिन लंबे समय तक काम करते हैं।
- कई बच्चे आजीवन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम भुगतते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्देश, 1973 (138) के अनुसार एवं बाल श्रम का विकृत रूप निर्देशिका, 1999 (संख्या 182) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को खतरनाक काम नहीं करना चाहिए।

यह दिवस कब से मनाया जाता है?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बाल श्रम की समाप्ति की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की घोषणा की।

तभी से बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जगरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ■

3. जी7 सम्मेलनः व्यापार में संरक्षणवाद के विरोध का संकल्प लिया गया

अमेरिका सहित जी-7 समूह देशों के नेताओं की दो दिन की शिखर बैठक के बाद जारी साझा वक्तव्य में संक्षणवाद का मुकाबला करने और व्यापार की राह में बाधाएं कम करने का संकल्प व्यक्त किया गया। डोनॉल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देशों से इस्पात तथा एल्युमीनियम के आयात पर ऊंचा आयात शुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया है जबकि बाकी देश इसके पक्ष में नहीं थे। दरअसल, जी7 की बैठक में घोषणा हुई कि व्यापार की राह में आने वाली बाधाओं को कम किया जाएगा। इसका इशारा अमेरिका की ओर से विदेशी सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स से था।

जी-7 घटनाक्रम

- जी-7 सम्मेलन सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियों का सम्मेलन है जिसमें हुए घटनाक्रम ने विश्व को स्तब्ध किया है।
- सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तय समय से पहले ही सम्मलेन छोड़ने का निर्णय किया।
- बैठक में यह घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम किया जायेगा।
- लेकिन हंगामा तब शुरु हुआ जब डोनॉल्ड ट्रम्प जी-7 की बैठक से निकलकर अपने विमान एयरफोर्स वन में बैठे और उन्होंने बैठक के घोषणा पत्र को खारिज कर दिया।
- ट्रम्प ने कहा कि वे अमेरिकी बाजार में आने वाले विदेशी उत्पादों पर भारी टैक्स लगायेंगे। साथ ही उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बेईमान और कमजोर करार दिया।
- इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे इस्पात और एल्युमिनियम पर अमेरिकी शुल्कों के जवाब में अमेरिकी समानों पर नये कर लगाए जाने की योजना पर कार्य करेंगे।

जी-7 सम्मेलन के बारे में

जी-7 शिखर सम्मेलन मूल रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान का गुट है। यह उन समस्याओं और संकटों पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार शिखर बैठक करता है जिनका इन देशों की नजर में अधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। सम्मेलन के निर्णय न तो किसी संधि-समझौते जैसे बाध्यकारी होते हैं और न ही वैसा कोई औपचारिक महत्व रखते हैं। प्रत्येक शिखर सम्मेलन इन देशों के प्रमुखों के स्तर पर ऐसे अनौपचारिक विचार-विमर्श का काम करता है, जो विभिन्न मुद्दों पर एक जैसी नीति अपनाने या किन्हीं भावी संधियों-समझौतों पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सके। ■

4. अमेरिकी सरकार ने अपाचे हेलिकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी

अमेरिकी संसद ने 12 जून 2018 को भारत द्वारा छह लड़ाकू अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदे जाने की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार द्वारा इस खरीद के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

यह हेलीकॉप्टर एक मिनट में 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर निशाना साधने में सक्षम है। पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई थी। सेना को पहली बार ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे।

अपाचे हेलिकॉप्टर की विशेषताएं

- अपाचे को वर्ष 1981 तक एएच-64 नाम से जाना जाता था। इसे 1981 के अंत में अपाचे नाम दिया गया।
- अमेरिकी सेना उस समय तक अपने हेलीकॉप्टरों का नाम अमेरिकी भारतीय जनजातीय नामों पर रखती थी। अप्रैल 1986 में अपाचे को अमेरिकी सेना में शामिल किया गया।
- अपाचे में लगे सेंसर की सहायता से यह अपने दुश्मनों को ढूंढ कर उन्हें समाप्त कर सकता है।
- अपाचे में लगे नाइट विजन सिस्टम से इसे रात में काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।
- इसमें लगाई गई 30 मिलिमीटर की एक एम230 चेन गन को मेन लैंडिंग गियर के बीच इंस्टॉमल किया गया है जिससे यह हेलिकॉप्टर की मारक क्षमता को दोगुना करती है।
- अपाचे हेलीकॉप्टर में एजीएम-114 हेलीफायर मिसाइल लगे हैं और हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स भी लगे हैं।
- यह हेलीकॉप्टर 293 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे की लंबाई 18 मीटर है तथा इसमें टर्बोसाफ्ट इंजन लगे हैं। इसका वजन 5,165 किलो है।

पृष्ठभूमि

भारत में मिग-35 की जगह पर हमलावर अपाचे हेलीकॉप्टर को लाया जा रहा है। लेकिन, अपाचे हेलीकॉप्टर के नियंत्रण को लेकर भारतीय वायुसेना के साथ लंबा गतिरोध बना रहा था। सितंबर 2015 में सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए बोइंग के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दे दी। उस वक्त केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि थल सेना के लिए इस हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी। लेकिन, उसकी डील में लगातार देरी होती चली गई। अब जाकर यह डील दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप ले सकी है। ■

5. सिंगापुर समझौताः उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सहमत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के बीच 12 जून 2018 को हुई ऐतिहासिक शिखर वार्ता समाप्त हो गई है। दोनों नेताओं के मध्य लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई। वार्ता समाप्त खत्म कर बाहर निकलते हुए ट्रंप और किम मुस्कुराते नजर आए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बैठक बेहद अच्छी रही।

अमेरिका का कोई कार्यकारी राष्ट्रपति पहली बार किसी उत्तर कोरियाई नेता से मिला है। वहीं, सत्ता संभालने के 7 साल बाद किम जोंग उन पहली बार लंबी विदेश यात्रा पर आए थे। वार्ता सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर आयोजित की गई थी। मुलाकात समाप्त होने के बाद किम ने ट्रंप से अंग्रेजी में कहा, "नाइस टू मीट यू, मिस्टर प्रेजीडेंट"।

सिंगापुर समझौता

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने सिंगापुर समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों नेताओं के बीच एक व्यापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें परमाणु हथियारों के खात्मे का अहम करार भी शामिल है।
- उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक विशेष अनुबंध तैयार किया है और निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी।
- प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किम ने कहा हम एक बड़ी समस्या का हल करने जा रहे हैं, दुनिया एक बड़ा बदलाव देखेगी।
- प्रेस कॉनफ्रेंस के बाद ट्रंप ने कहा, किम ने एक दस्तावेज पर साइन करके कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का वादा किया है।
- किम से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम नए अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। ■

6. यूएन सुरक्षा परिषद में पांच नए सदस्य चुने गए

UN ने सुरक्षा परिषद में पांच नए सदस्य देशों को निर्वाचित किया। सदस्य देशों में बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल। संयुक्त राष्ट्र (एएफपी)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में पांच नए सदस्य देशों को निर्वाचित किया। निर्वाचित किए गए पांच सदस्य देशों में बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये सभी देश दो साल की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्य के तौर पर चुने गए।

किसको कितने मत मिले

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने बैलेट पेपर से मतदान किया। जर्मनी और डोमिनिकन रिपब्लिक को 184-184 मत मिले, जबकि दक्षिण अफ्रीका

को 183 मत मिले। वहीं, बेल्जियम को 181 और इंडोनेशिया को 144 मत मिले

ये हैं स्थायी देश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें पांच स्थाई और 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। पांच देश ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्यों में से आधे का हर साल चुनाव किया जाता है। इन 10 अस्थाई सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा दो वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

सुरक्षा परिषद में मालदीव की बड़ी कूटनीतिक हार, इंडोनेशिया ने मारी बाजी; इस कारण गंवानी पड़ी अस्थायी सदस्यता

10 सीटों का बंटवारा

- 10 अस्थायी सीट पांच क्षेत्रीय समूहों के बीच बंटी हैं। अफ्रीका के लिए तीन सीटें, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए दो सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई के पास एक-एक सीट, दो सीटें पश्चिमी यूरोप और अन्य के लिए। पूर्वी यूरोपीय समूह के पास एक सीट है। ■

7. चीन ब्रह्मपुत्र जल प्रवाह डेटा साझा करने पर सहमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 09 जून 2018 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्वि पक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा देगा। साथ ही भारत अब चीन को बासमती से अलग दूसरी किस्मों के चावल का भी निर्यात करेगा। समझौते के तहत चीन बाढ़ के मौसम में प्रति वर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जल से संबंधित आंकड़े भारत को देगा। अन्य मौसम के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी वह आंकड़े उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों के वॉटर रिसॉर्स मिनिस्ट्री, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुवेनशन ने समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत को चीन ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी।

बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य वुहान में अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आ रही प्रगाढ़ता को और बढ़ाना है। एससीओ के शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं की यह बैठक चीन के वुहान शहर में अनौपचारिक बातचीत के करीब छह सप्ताह बाद हुई। इस अनौपचारिक बातचीत का उद्देश्य पिछले साल डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करना था। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

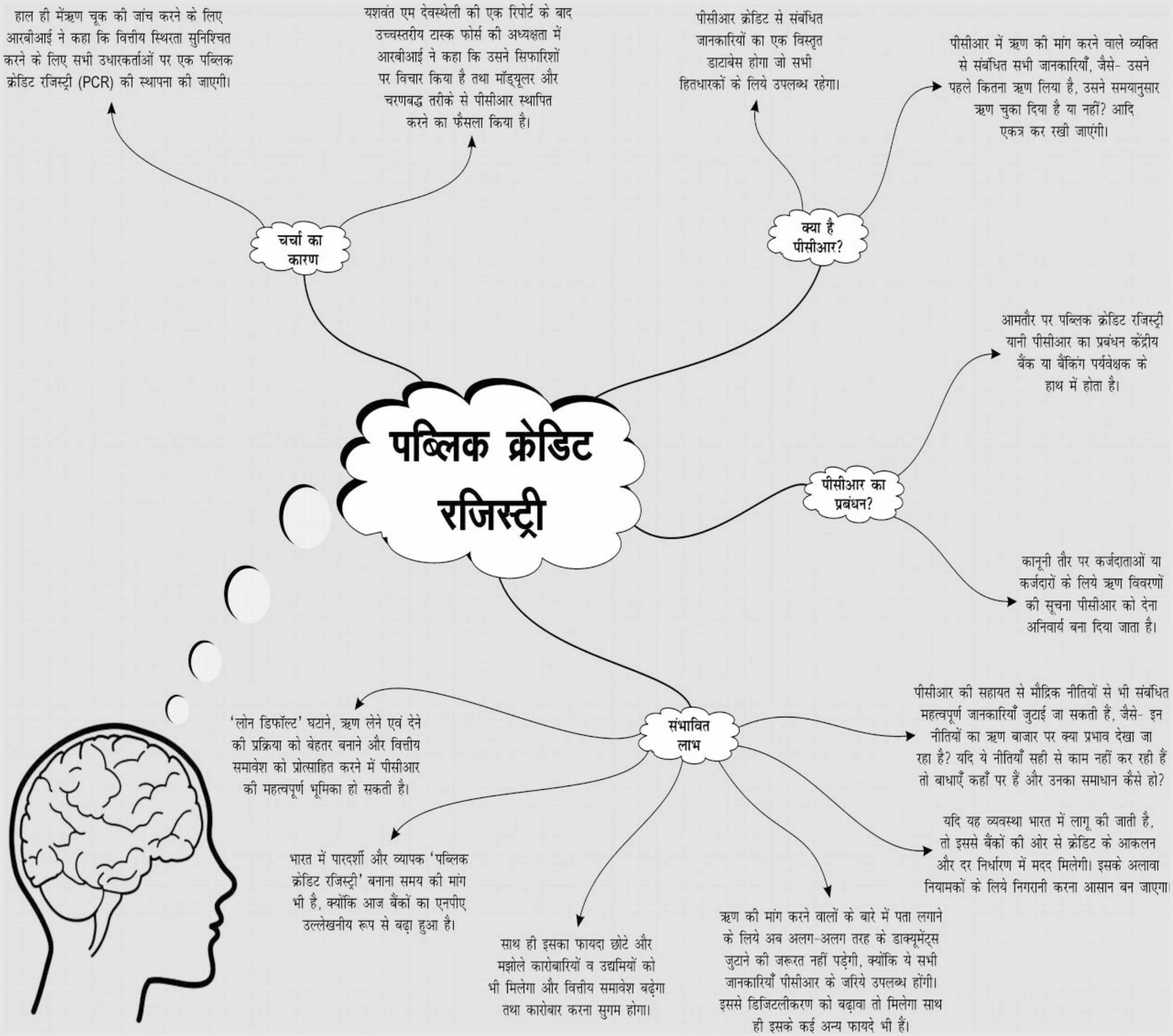

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री
चर्चा का कारण
हाल ही मेंऋण चूक की जांच करने के लिए आरबीआई ने कहा कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी उधारकर्ताओं पर एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR) की स्थापना की जाएगी।
यशवंत एम देवस्थेली की एक रिपोर्ट के बाद उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता में आरबीआई ने कहा कि उसने सिफारिशों पर विचार किया है तथा मॉड्यूलर और चरणबद्ध तरीके से पीसीआर स्थापित करने का फैसला किया है।
क्या है पीसीआर?
पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारियों का एक विस्तृत डाटाबेस होगा जो सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।
पीसीआर में ऋण की मांग करने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे- उसने पहले कितना ऋण लिया है, उसने समयानुसार ऋण चुका दिया है या नहीं? आदि एकत्र कर रखी जाएंगी।
पीसीआर का प्रबंधन?
आमतौर पर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है।
कानूनी तौर पर कर्जदाताओं या कर्जदारों के लिये ऋण विवरणों की सूचना पीसीआर को देना अनिवार्य बना दिया जाता है।
संभावित लाभ
'लोन डिफॉल्ट' घटाने, ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने में पीसीआर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
भारत में पारदर्शी और व्यापक 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' बनाना समय की मांग भी है, क्योंकि आज बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ है।
साथ ही इसका फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों व उद्यमियों को भी मिलेगा और वित्तीय समावेश बढ़ेगा तथा कारोबार करना सुगम होगा।
ऋण की मांग करने वालों के बारे में पता लगाने के लिये अब अलग-अलग तरह के डाक्यूमेंट्स जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ पीसीआर के जरिये उपलब्ध होंगी। इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा तो मिलेगा साथ ही इसके कई अन्य फायदे भी हैं।
यदि यह व्यवस्था भारत में लागू की जाती है, तो इससे बैंकों की ओर से क्रेडिट के आकलन और दर निर्धारण में मदद मिलेगी। इसके अलावा नियामकों के लिये निगरानी करना आसान बन जाएगा।
पीसीआर की सहायत से मौद्रिक नीतियों से भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं, जैसे- इन नीतियों का ऋण बाजार पर क्या प्रभाव देखा जा रहा है? यदि ये नीतियाँ सही से काम नहीं कर रही हैं तो बाधाएँ कहाँ पर हैं और उनका समाधान कैसे हो?

गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल का शुभारंभ

चर्चा का कारण

- इस सेवा का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसार और रेल मंत्री पीयुष गोयल ने किया था।
- केंद्र सरकार ने 11 जून 2018 को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल और रेल टिकटों की डिलीवरी का शुभारंभ किया।

उद्देश्य

- इस सेवा का मुख्य उद्देश्य भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह ग्रामीण इलाकों में 60,000 वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करेगा।
- वाईफाई चौपाल ने ऑप्टिक फाईबर केबल की मदद से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य तथ्य

- पूरे देश से आए 3000 ग्राम स्तर के उद्यमियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत में सभी वाई फाई चौपाल ज्ञान के केंद्र बन जायेंगे।
- साझा सेवा केंद्र भविष्य में आंकड़े एकत्र करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।
- यह केंद्र सामग्री वितरण नेटवर्क का भी निर्माण करेंगे। ग्रामीण भारत को तकनीकी विकास का लाभ मिलेगा और भारतनेट परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों को देश के समावेशी विकास में योगदान करने का मौका मिलेगा।
- वाई-फाई चौपाल के तहत जो ढांचा खड़ा किया गया है वो राष्ट्रीय संपत्ति होगी।
- इसका प्रयोग सेवा प्रदाता बिना किसी भेदभाव के कर सकेंगे। साझा सेवा केंद्रों का प्रयोग देश में भारतनेट की देखभाल संबंधी कार्यों में भी होगा।

अटल भूजल योजना

चर्चा का कारण

योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है। मंत्रालय की वित्त व्यय समिति पहले ही योजना के प्रस्ताव की अनुशंसा कर चुकी है और परियोजना के लिये मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमण्डल की मंजूरी लेगा।

विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना 'अटल भूजल योजना' को अनुमति प्रदान की है।

उद्देश्य

देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर करने के लिये मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है।

योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है।

मुख्य तथ्य

भूजल प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के बड़े उद्देश्यों में शामिल है।

योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे वॉटर यूजर एसोसिएशन, भूजल के आंकड़ों की निगरानी एवं वितरण, जलसंबंधी आय-व्यय, ग्राम पंचायतों के अनुरूप जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन एवं चिरस्थायी जल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी प्रस्तावित की गई है।

प्राथमिक क्षेत्र

योजना के अंतर्गत पहचान किये गये प्राथमिक क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश राज्यों में पड़ते हैं।

यह राज्य भारत में भूजल के मामले में अत्यधिक शोषित, संकटमय एवं अर्द्ध संकटमय खंडों का लगभग 25% निरूपित करते हैं।

यह राज्य भारत में पाये जाने वाले दो बड़े प्रकार के भूजल निकायों-जलोढ़ एवं हार्ड रॉक जलभृत को कवर करते हैं एवं भूजल प्रबंधन में सांस्थानिक तैयारी एवं अनुभव के मामले में यह आत्मनिर्भर है।

योजना का लाभ

योजना के अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में भागीदारी करने वाले प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है।

भूजल में घुला में यूरेनियम

संदर्भ

हाल ही में वैज्ञानिको ने 16 भारतीय राज्यों के भूजल में व्यापक यूरेनियम संदूषण पाया है। जर्नल एन्वायर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित यह निष्कर्ष भारत के भूजल में यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा को लेकर पहली रिपोर्ट है।

प्रमुख बिंदु

- कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पीने के पानी में यूरेनियम की उपस्थिति के कारण गुर्दे से संबंधित खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं।
- शोधकर्ताओं द्वारा पिछले जल गुणवत्ता के अध्ययनों का विश्लेषण करके, उत्तर-पश्चिम भारत के 26 अन्य जिलों और दक्षिणी या दक्षिण-पूर्वी भारत के नौ जिलों में यूरेनियम के उच्च स्तर के साथ प्रदूषित जलवाही स्तरों की पहचान की गई।
- राजस्थान के कई जिलों में भूजल में सर्वाधिक यूरेनियम संदूषण पाया गया।
- भूजल में यूरेनियम के स्तर के लिये कोई निर्धारित मानक नहीं है।

कैसे किया गया शोध?

- एन्वायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित शोध के अनुसार, शोधकर्ताओं ने जल के गुण-धर्मों का विश्लेषण करने के लिए राजस्थान और गुजरात राज्यों के 324 कुओं से पानी के नमूने एकत्र किये।
- नमूने के एक उप-समूह में उन्होंने यूरेनियम आइसोटोप के अनुपात को मापा। उन्होंने राजस्थान, गुजरात और 14 अन्य भारतीय राज्यों में भूजल के गुण-धर्मों के 68 पिछले अध्ययनों से इसी तरह के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया।

डब्ल्यूएचओ का मानक

डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षित पेयजल मानक के अंतर्गत भारत के लिये प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की है। यह मात्रा अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मानकों (U.S. EPA) के अनुरूप है। इसके बावजूद, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर के तहत निगरानी किये जाने वाले प्रदूषकों की सूची में यूरेनियम को शामिल नहीं किया गया है।

भूजल में यूरेनियम की व्यापकता के कारण

- निष्कर्षों से पता चला है कि यूरेनियम संदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक है, लेकिन भूजल स्तर में गिरावट, कृषि सिंचाई के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन और नाइट्रेट जैसे मानवीय कारक इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके कारण भूजल में यूरेनियम का स्तर बढ़ जाता है।

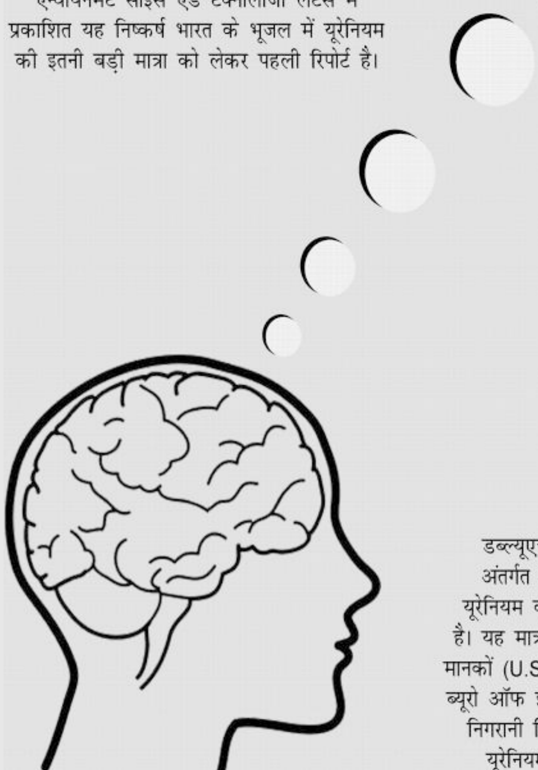

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा

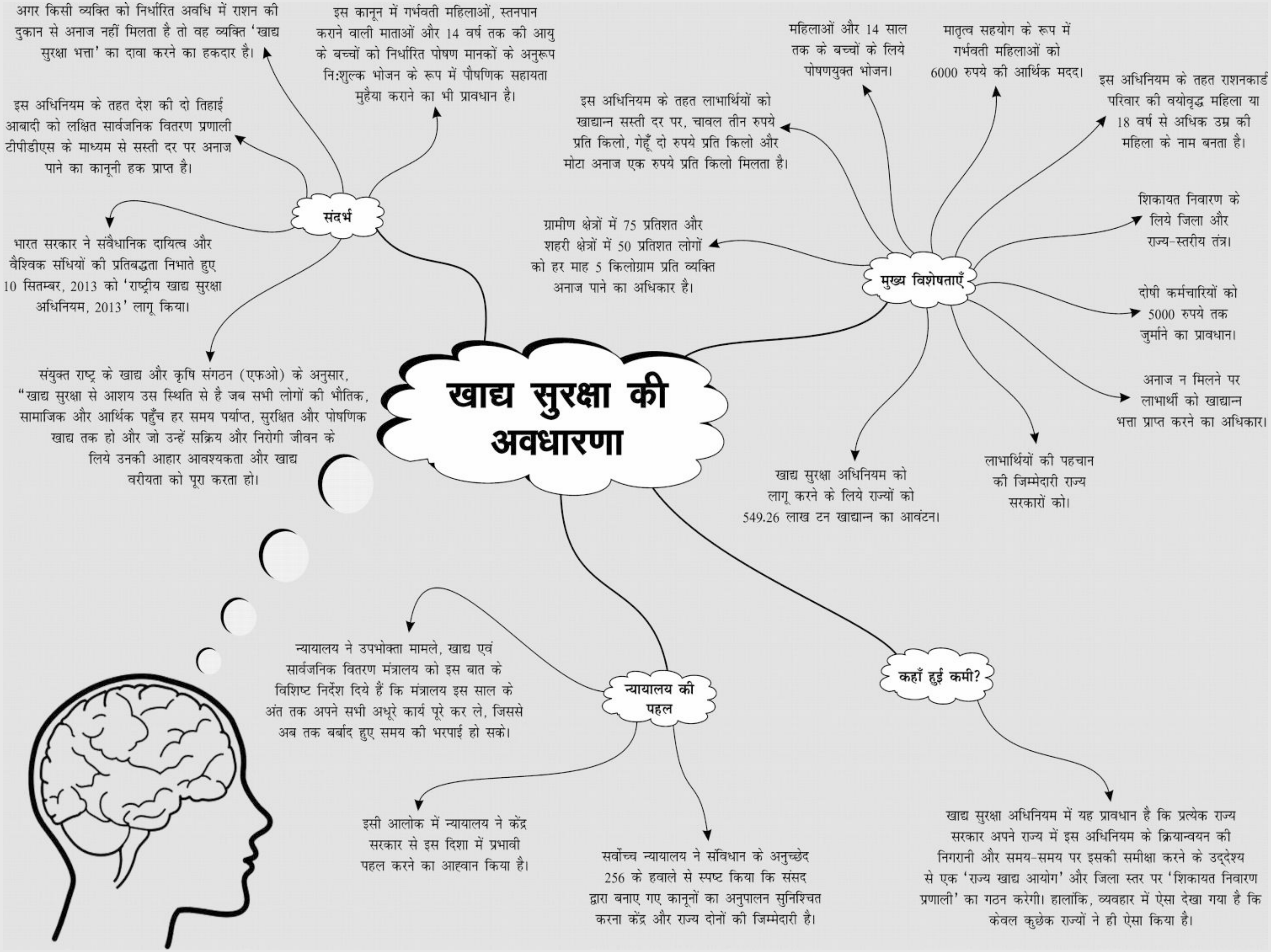

भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा एक्सोप्लैनेट

चर्चा का कारण

- वैज्ञानिकों ने न केवल इसकी तलाश की है, बल्कि इसके आकार, भार और उसके अंदर क्या है यह भी पता लगा लिया है।
- भारतीय वैज्ञानिको ने पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट की खोज की है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसकी खोज अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबरेटरी (भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला) पीआरएल के वैज्ञानिकों ने की है।
- इसका नाम एपिक 211945201 या के 2-236 रखा गया है।
- यह एक्सोप्लैनेट धरती से मास के रूप में 27 गुना और रेडियस में छह गुना बड़ा है। इसकी सतह का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा सूरज और धरती की दूरी की तुलना में यह ग्रह अपने तारे से छह गुना ज्यादा करीब है।
- हालांकि यहाँ जीवन है या नहीं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं का जा सकता।
- मास और रेडियस के आधार पर पता चलता है कि इस एक्सोप्लैनेट के मास का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा बर्फ, सिलिकेट्स और लोहा का है।
- इसी के साथ इस एक्सोप्लैनेट को उन एक्सोप्लैनेट की सूची में रखा गया है, जिनका मास पृथ्वी के मास का 10 से 70 गुना अधिक और रेडियस पृथ्वी की रेडियस से चार से आठ गुना अधिक है।

यह क्या है?

- हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह हैं, जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। इस सौरमंडल के बाहर अन्य आकाशगंगाओं में मोजूद ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है।
- दूसरे सौरमंडल के ग्रह को तभी एक्सोप्लैनेट कह सकते हैं, जब वह किसी तारे की परिक्रमा कर रहा हो।
- स्वतंत्र रूप से घूम रहे ग्रह को एक्सोप्लैनेट न कहकर रोग एक्सोप्लैनेट कहते हैं।
- दुनिया में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज वर्ष 1995 में माइकल मेयर और डीदर क्वेजोल ने की थी। इसका नाम 51 पेगासी रखा गया था।

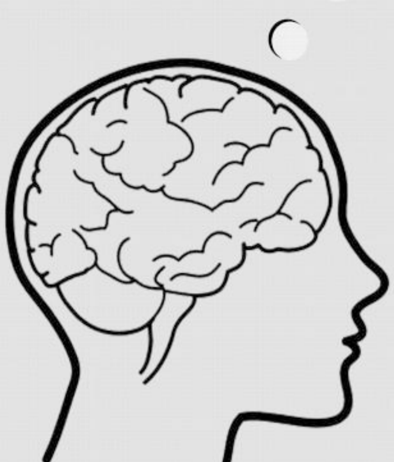

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

प्रमुख तथ्य

- क्यूएस द्वारा साल 2014 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के समय से आईआईटी बॉम्बे 71 पायदन ऊपर पहुंचा है।
- पिछले साल 172वीं रैंक के साथ आईआईटी-दिल्ली टॉप रैंक पाने वाले भारतीय संस्थानों में शामिल था।
- इस साल आईआईटी-दिल्ली भी इस रैंक में है लेकिन इसका स्थान 172 है जिसे बेंगलुरू स्थिति इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस ने 170वीं रैंक लाकर पीछे छोड़ दिया है। जबकि आईआईएससी बेंगलुरू की पिछले साल रैंक 190 थी।
- इस साल टॉप 500 में भारत की नौ यूनिवर्सिटियाँ और सात आईआईटीज-आईआईटी, मद्रास (264), आईआईटी, कानपुर (283), आईआईटी, खड़गपुर (295), यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली (487) पहुंचे हैं। 20 से ज्यादा भारतीय यूनिवर्सिटियाँ टॉप 1000 में शामिल हैं।
- इस साल भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अमेरिकी संस्थानों का दबदबा रहा है। लगातार सातवें साल मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहली पोजिशन हासिल की है।
- 100 में से कुल 48.2 स्कोर के साथ-साथ आईआईटी-बॉम्बे भारत के टॉप रैंक पाने वाले संस्थान में शामिल है।
- इंस्टिट्यूट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'जिन छह पैमानों पर रैंकिंग की गई है, उनमें से एंप्लॉयर रेप्युटेशन में आईआईटी बॉम्बे की मजबूत स्थिति है जिसमें इसे विश्व भर में 93वीं रैंक मिली है।
- इसे ऐकेडमिक रेप्युटेशन में 52.5 स्कोर, एंप्लॉयर रेप्युटेशन में 72.9, साइटेशन पर फैकल्टी में 54.1, फैकल्टी-स्टूडेंट रेशियो में 43.3, इंटरनेशनल फैकल्टी में 4.4 और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में 1.8 स्कोर मिले हैं।

चर्चा का कारण

- पिछले साल इस रैंकिंग में आईआईटी-बॉम्बे 179वें पायदान पर था जबकि इस साल 17 स्थानों की उछाल के साथ 162वें नंबर पर पहुंच गया है।
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, बॉम्बे (आईआईटी-बॉम्बे) ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

आईआईटी-बॉम्बे की 162 रैंकिंग का ब्योरा

- ऐकडेमिक रेप्युटेशन-52.5/100: क्यूएस किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग और रिसर्च क्वॉलिटी के संबंध में उच्च शिक्षा जगत से जुड़े 80,000 से ज्यादा लोगों का विचार जमा करता है।
- आईआईटी बॉम्बे को कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, मैटीरियल्स साइंस जैसे विषयों पर खासतौर पर ज्यादा फोकस करने से यह स्कोर मिला है।

क्या है कॉकरेली साइमंस-क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स?

- हर साल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स प्रकाशित की जाती है।
- किसी भी संस्थान की रैंकिंग छह मापदंडों पर तय की जाती है जो ऐकेडमिक रेप्युटेशन, एंप्लॉयर रेप्युटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशिया, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो हैं।

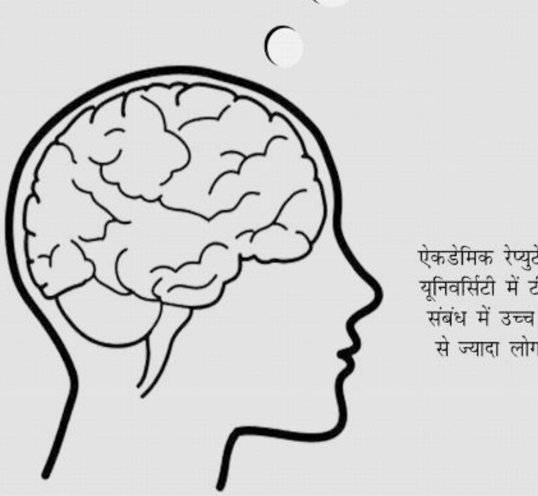

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' (PCR)

प्र. 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. ऋण चूक की जाँच करने के लिए आरबीआई ने कहा कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी उधारकर्ताओं पर एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR) की स्थापना की जाएगी।
2. पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारियों का एक विस्तृत डाटाबेस होगा जो सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।
3. 'लोन डिफॉल्ट' घटाने, ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने में पीसीआर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में ऋण चूक की जाँच करने के लिए आरबीआई ने कहा कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी उधारकर्ताओं पर एक पीसीआर की स्थापना की जाएगी। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के संदर्भ में दिए गये उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं अत: उत्तर (c) होगा। ■

2. गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल का शुभारंभ

प्र. 'गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल का शुभारंभ' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. केंद्र सरकार ने 11 जून 2018 को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल और रेल टिकटों की डिलिवरी का शुभारंभ किया।
2. इस सेवा का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
3. यह ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केंद्र सरकार ने गाँवों में 5000 वाई-फाई चौपाल और रेल टिकटों की डिलिवरी का शुभारंभ किया। अत: कथन (1) सही है। इस सेवा का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेलमंत्री पीयुष गोयल ने किया था न कि प्रधानमंत्री ने अत: कथन (2) गलत है। इसी प्रकार यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 वाई-फाई हॉट स्पॉट प्रदान करेगी। अत: कथन (3) सही है। कथन (1) व (3) सही है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

3. अटल भूजल योजना

प्र. अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना 'अटल भूजल योजना' को अनुमति प्रदान की है।
2. इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पाँच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है।
3. भूजल प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के बड़े उद्देश्यों में शामिल है।
4. इस योजना के क्रियान्वयन से इन प्रदेशों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के लाभान्वित होने की आशा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2, 3 व 4
(c) केवल 1 व 4 (d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ की लागत से जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की केन्द्रीय योजना 'अटल भूजल योजन' को अनुमति प्रदान की है। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पाँच वर्षीय कालावधि में कार्यान्वित किया जाना है। अटल भूजल योजना' के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्यह हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. भूजल में घुला है यूरेनियम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. हाल ही में वैज्ञानिकों ने 16 भारतीय राज्यों के भूजल में व्यापक यूरेनियम संदूषण पाया है।

2. जर्नल एन्वायर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित यह निष्कर्ष भारत के भूजल में यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा को लेकर पहली रिपोर्ट है।
3. डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षित पेयजल मानक के अंतर्गत भारत के लिये प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 व 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में वैज्ञानिकों ने 16 भारतीय राज्यों के भूजल में व्यापक यूरेनियम संदूषण पाया है। जर्नल एन्वायर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित यह निष्कर्ष भारत के भूजल में यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा को लेकर पहली रिपोर्ट है। भारत के भूजल में घुले यूरेनियम की मात्रा के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं। इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

5. खाद्य सुरक्षा की अवधारणा

प्र. खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) खाद्य सुरक्षा की अवधारणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत लोगों को हर माह 10 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति अनाज पाने का अधिकार है।
(b) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मातृत्व सहयोग के रूप में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
(c) इस अधिनियम के तहत राशनकार्ड, परिवार की वयोवृद्ध महिला या 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के नाम बनता है।
(d) भारत सरकार ने संवैधानिक दायित्व और वैश्विक संधियों की प्रतिबद्धता निभाते हुए 10 सितम्बर 2013 को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' लागू किया गया।

उत्तर: (a)

व्याख्या: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोगों को हर माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार है। इस तरह कथन (a) गलत है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफओ) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा से आशय उस स्थिति से है जब सभी लोगों की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषणिक खाद्य तक हो और जो उन्हें सक्रिय और निरोगी जीवन के लिये उनकी आहार आवश्यकता और खाद्य वरीयता को पूरा करता है। ■

6. भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा एक्सोप्लैनेट

प्र. एक्सोप्लैनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. एक्सोप्लैनेट की खोज अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबरेटरी (भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला) पीआरएल के वैज्ञानिकों ने की है।
2. यह एक्सोप्लैनेट धरती से मास के रूप में 30 गुना और रेडियस में 10 गुना बड़ा है।
3. मास और रेडियस के आधार पर पता चलता है कि इस एक्सोप्लैनेट के मास का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा बर्फ, सिलिकेट्स और लोहा है।
4. दुनिया में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज वर्ष 1998 में माइकल मेयर और डीदर क्वेजोल ने की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 1, 2 व 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: एक्सोप्लैनेट धरती से मास के रूप में 27 गुना (न कि 30) और रेडियस में 6 गुना (न कि 10) बड़ा है। इसलिए कथन 2 गलत है। दुनिया में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज वर्ष 1995 (न कि 1998) में माइकल मेयर और डीदर क्वेजोल ने की थी। इस तरह कथन 4 भी गलत है। इसके अलावा दिए गये सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

7. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

प्र. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार आईआईटी-बॉम्बे 17 स्थानों के उछाल के साथ 162वें स्थान पर पहुंच गया है।
2. क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दूसरा स्थान हासिल किया है।
3. किसी भी संस्थान की रैंकिंग छह मापदंडों पर तय की जाती है जो ऐकेडमिक, रेप्युटेशन, एंप्लॉयर रेप्युटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 2
(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला स्थान हासिल किया है। इस तरह कथन 2 गलत है। यह लगातार 7वें वर्ष अपना स्थान बनाये रखने में सफल रहा है। आईआईटी बॉम्बे 17 स्थान के उछाल के साथ 162वें स्थान पर पहुंच गया है। आईआईटी बॉम्बे को कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, मैटीरियल्स साइंस जैसे विषयों पर ज्यादा फोकस करने से यह स्कोर मिला है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस राज्य में ई-चालान की शुरूआत की गई है?

   *- **हरियाणा***

2. हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।

   *- **डॉ. दिनेश गुप्ता***

3. जार्डन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने देश में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की?

   *- **हानी अल-मुल्की***

4. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है?

   *- **महेश कुमार जैन***

5. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए तीन उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया?

   *- **भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय***

6. आतंकवाद नियंत्रण पर आधारित बिमस्टेक देशों का पहला सैन्य अभ्यास किस देश में होगा?

   *- **भारत***

7. नौकरियों की डेटा गणना के लिए भारत सरकार द्वारा किस टेक्निकल समिति का गठन किया गया है?

   *- **TCA अनंत समिति***

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दुसरो पर छिड़कें तो उसकी कुछ बुँदे अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं।

- महात्मा गाँधी

2. क्रांति मानव जाती का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्म-सिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है।

- भगत सिंह

3. महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।

- अब्दुल कलाम

4. असफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्शों और लक्ष्यों एवं सिद्धांतो को भूल जाते हैं।

- जवाहर लाल नेहरु

5. जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

6. आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, और यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें।

- लाल बहादुर शास्त्री

7. दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी।

- स्वामी विवेकानंद

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता संपन्न हुई। इस शिखर वार्ता के महत्व तथा इससे विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव की सविस्तार चर्चा करें।

2. "भारत ने अपनी संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए शक्ति, तलवार या राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से समन्वय और आत्मसातीकरण के द्वारा अपनी वैभवपूर्ण संस्कृति को प्रतिस्थापित किया है।" इस कथन के संदर्भ में भारतीय कला एवं संस्कृति का उल्लेख करें।

3. बाल श्रम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व (खासकर विकासशील देशों) के लिए एक चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम निषेध के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान पर विचार व्यक्त करें।

4. भारतीय कृषि की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसके समाधान का वर्णन करें।

5. वैश्वीकरण ने महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आप इससे कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

6. भारत में समय-समय पर (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ईवीएम का प्रयोग कितना सुरक्षित है? समीक्षा करें।

7. हिमरेखा क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलरूपों की चर्चा करें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS has been writing success stories for one and a half decades. Once again Dhyeya IAS has scripted new saga of success with 120+ selections.

& many more...